



महालेखापरीक्षकको
वार्षिक लेखापरीक्षण प्रतिवेदन
२०७७



शिखर नगरपालिका
डोटी ।



महालेखापरीक्षकको कार्यालय
काठमाडौं, नेपाल



महालेखापरीक्षकको कार्यालय
Office of the Auditor General

प्रदेश नं.५, कर्णाली र सुदूर पश्चिमी क्षेत्रीय लेखापरीक्षण महानिर्देशनालय
लेखापरीक्षकको कार्यालय
नेपाल
२०१६

Phone : 4258174
4266034
4255707
Fax : 977-1-4262798
Post Box : 13328
बबरमहल, काठमाण्डौं, नेपाल
Babar Mahal, Kathmandu
Nepal


पत्र संख्या: २०७६/७७
च.नं ४६०

मिति: २०७७/३/२४

श्री नगर प्रमुखज्यू,
शिखर नगरपालिका, डोटी ।

विषय: लेखापरीक्षण प्रतिवेदन ।

नेपालको संविधानको धारा २४१ बमोजिम त्यस कार्यापालिकाको आर्थिक वर्ष २०७५।७६ को लेखापरीक्षण सम्पन्न गरी लेखापरीक्षण ऐन, २०७५ को दफा २०(२) बमोजिम यो प्रतिवेदन जारी गरिएको छ । उक्त प्रतिवेदन लेखापरीक्षण ऐन, २०७५ को दफा २०(३) र दफा २२ बमोजिम कारबाहीको लागि अनुरोध छ ।


२०७६/३/२४
(चन्द्रकान्त भण्डारी)

नायव महालेखापरीक्षक

महालेखापरीक्षकको भनाई

नेपालको संविधानको धारा २४१ मा संघ, प्रदेश र स्थानीयतहका सबै सरकारी कार्यालयको लेखापरीक्षण नियमितता, मितव्ययिता, कार्यदक्षता, प्रभावकारिता र औचित्यको आधारमा महालेखापरीक्षकबाट हुने व्यवस्था छ । लेखापरीक्षण ऐन, २०७५ को दफा २०(२) मा महालेखापरीक्षकले प्रत्येक गाउँपालिका र नगरपालिकाको लेखापरीक्षण सम्पन्न गरी अलग अलग प्रतिवेदन जारी गर्न सक्ने व्यवस्था छ । सोही व्यवस्था बमोजिम स्थानीय तहको आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को आर्थिक कारोवारको लेखापरीक्षण सम्पन्न गरी प्रतिवेदन तयार गरिएको छ ।


स्थानीय तहको लेखापरीक्षण नेपालको संविधान, लेखापरीक्षण ऐन, सरकारी लेखापरीक्षण मानदण्ड, वित्तीय लेखापरीक्षण मार्गदर्शन, स्थानीयतह लेखापरीक्षण निर्देशिका, महालेखापरीक्षकको वार्षिक लेखापरीक्षण योजना र निकायसंग सम्बन्धित ऐन नियम समेतको आधारमा सम्पन्न गरिएको छ । लेखापरीक्षणको प्रमुख उद्देश्यहरूमा वित्तीय विवरणको शुद्धता, प्रचलित कानूनको पालना, बजेट तथा योजना तर्जुमा एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन, खरिद व्यवस्थापन, सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण र उपयोग, जिम्मेवारी र जवाफदेहिता एवं सेवा प्रवाहको अवस्था मूल्याङ्कन गर्नु रहेको छ । त्यसैगरी स्रोत साधनको प्राप्ति र उपयोग सम्बन्धमा प्रचलित कानूनको पालना भए नभएको विश्लेषण गरी वित्तीय व्यवस्थापनमा सुधारका लागि सुझाव प्रस्तुत गरी सुशासन प्रवर्द्धनमा टेवा पुऱ्याउनु लेखापरीक्षणको उद्देश्य रहेको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को लेखापरीक्षण सम्पन्न भए पश्चात जारी प्रारम्भिक प्रतिवेदन उपर प्राप्त प्रतिक्रियाका विषयहरू मिलान गरी कायम रहेका व्यहोरा समावेश गरेर राय सहितको अन्तिम प्रतिवेदन जारी गरिएको छ । प्रतिवेदनमा दिएका सुझावहरूको कार्यान्वयनबाट स्थानीय तहमा रहेको सीमित स्रोत साधनको उपयोग गरी विकास निर्माण र सेवा प्रवाहमा मितव्ययिता, दक्षता र प्रभावकारिता हासिल गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । फलस्वरूप स्थानीय तहको कार्यसम्पादनमा जवाफदेहिता र पारदर्शिता प्रवर्द्धन हुने विश्वास लिइएको छ ।

लेखापरीक्षणबाट मूलतः स्थानीय तहमा प्राप्त हुने अनुदान, आन्तरिक आय र राजश्व बाँडफाँडको प्रक्षेपण यथार्थपरक नरहेको, आन्तरिक आयतर्फ संकलन न्यून रहेको, बजेट अनुशासन कमजोर रहेको, अवण्डा बजेट राखेको, खर्च पश्चात बजेट तथा कार्यक्रम संशोधन गरी अनुमोदन गर्ने गरेको, बर्षान्तमा बढी खर्च गरेको, अत्यधिक प्रशासनिक खर्च गरेको, वितरणमुखी खर्चको बाहुल्यता रहेको जस्ता प्रवृत्ति देखिएका छन् । त्यसैगरी विकास निर्माण तर्फ योजना प्राथमिकीकरण नगरेको, साना तथा टुक्रे आयोजनाको छनौट गरेको, जटिल प्रकृतिका कार्यहरू समेत उपभोक्ता समितिबाट गराएको, तोकिए बमोजिम जनसहभागिता नजुटेको, दिगो विकासका लक्ष्य अनुरूप योजना र कार्यक्रम तर्जुमा नगरेको, दीर्घकालिन विकासको खाका तर्जुमा नभएको जस्ता समस्या रहेका छन् । स्थानीयतहको आन्तरिक व्यवस्थापन तर्फ आवश्यक सीपयुक्त जनशक्तिको कमी रहेको, सेवाप्रवाहमा अपेक्षित सुधार हुन नसकेको, स्रोत साधन र सम्पत्तिको दुरुस्त अभिलेख नरहेको, संचालित योजना, कार्यक्रम, सेवा प्रवाहको अभिलेख नराखेको, लेखांकन तथा समग्र प्रतिवेदन प्रणाली र आन्तरिक नियन्त्रण कमजोर रहेको छ । साथै आन्तरिक लेखापरीक्षण भरपर्दो र प्रभावकारी नभएको पाइएको छ । गतविगतमा लेखापरीक्षणबाट औल्याएका व्यहोराहरू सुधार तथा बेरुजू उपर अपेक्षित रूपमा आवश्यक कारवाही भए गरेको समेत देखिएन ।

समय र जनशक्तिको सीमितताको बावजुद यथासम्भव स्थानीयतहको कार्यस्थलमा नै उपस्थित भै लेखापरीक्षण गर्ने प्रयास गरिएको थियो । लेखापरीक्षणको क्रममा स्थानीयतहका प्रमुख सहितका पदाधिकारीहरूसँग छलफल समेत गरिएको थियो । लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका व्यहोराको कार्यान्वयनबाट स्थानीय तहको वित्तीय व्यवस्थापनमा सुधार हुने, भौतिक पूर्वाधार र सेवाप्रवाहमा सुधार हुने अपेक्षा गरेको छ । स्थानीय तहको लेखापरीक्षणमा सहयोग पुऱ्याउने स्थानीय तहका सबै पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरू र लेखापरीक्षण तथा प्रतिवेदन तयारीमा संलग्न यस कार्यालयका कर्मचारीहरू सबैलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु । आगामी दिनमा समेत यस्तै सहयोगको अपेक्षा गर्दछु ।

२०७७ आषाढ २४ गते ।



(टंकमणि शर्मा, दंगाल)
महालेखापरीक्षक



महालेखापरीक्षकको कार्यालय

Office of the Auditor General

प्रदेश नं.५, कर्णाली राजमार्ग, शिखर नगरपालिका, महानिर्देशनालय



नेपाल
२०१६

Phone : 4258174
4266034
4255707
Fax : 977-1-4262798
Post Box : 13328
बबरमहल, काठमाण्डौ, नेपाल
Babar Mahal, Kathmandu
Nepal

पत्र संख्या: २०७६/७७

च.नं ४६९

मिति: २०७७/३/२४

श्री नगरप्रमुखज्यू,
शिखर नगरपालिका, डोटी ।

विषय: लेखापरीक्षण प्रतिवेदन

कैफियत सहितको राय

हामीले शिखर नगरपालिकाको आर्थिक वर्ष २०७५।७६ को वित्तीय विवरण र त्यससंग सम्बन्धित अन्य विवरण तथा लेखा टिप्पणीहरूको लेखापरीक्षण गरेका छौं ।

हाम्रो रायमा, यस प्रतिवेदनको कैफियत सहितको राय व्यक्त गर्ने आधार खण्डमा उल्लेख भएका विषयले पार्ने असर बाहेक, पेश भएको २०७६ आषाढ ३१ मा समाप्त भएको आर्थिक वर्ष २०७५।७६ को वित्तीयविवरण र त्यससंग सम्बन्धित अन्य विवरणले स्थानीयतहसंग सम्बन्धित प्रचलित कानून बमोजिम सारभूत रूपमा सहि तथा यथार्थ अवस्था चित्रण गर्दछ ।

कैफियत सहितको रायव्यक्तगर्ने आधार

१. पालिकाले महालेखापरीक्षकबाट स्वीकृत नेपाल सार्वजनिक क्षेत्र लेखामानको ढाँचा प्रयोग गरी वित्तीयविवरण तयार गरेको छैन ।
२. लेखापरीक्षणबाट रु.२ करोड २० लाख २० हजार बेरुजू देखिएको छ । सोमध्ये असुलगर्नुपर्ने रु.५७ लाख १५ हजार, प्रमाण कागजात पेश गर्नुपर्ने रु.८ लाख ९२ हजार नियमित गर्नुपर्ने रु.१ करोड ३३ लाख ४७ हजार पेशकी बाँकी रु.२० लाख ६६ हजार रहेको छ ।
३. लेखापरीक्षणमा देखिएका व्यहोराहरूका सम्बन्धमा मिति २०७६।१।४ मा जारी गरिएको प्रारम्भिक प्रतिवेदन उपर प्रतिक्रिया पेश हुन नआएकोले उक्त दफा प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा उल्लेखित बेरुजुका व्यहोराको अन्तिम प्रतिवेदन पाना ३५(पैतीस) यसैसाथ संलग्न छ ।

४. आम्दानी तथा खर्चको स्रेस्ता नगदमा आधारित लेखा प्रणाली अवलम्बन गरेकोले पालिकाको पेशकी बाहेक सम्पत्ति तथा दायित्व यकीन हुने कुनै जानकारी खुलाएको छैन ।


हाम्रो लेखापरीक्षण कार्य नेपालको संविधान, लेखापरीक्षण ऐन तथा महालेखापरीक्षकको कार्यालयले अवलम्बन गरेका सरकारी लेखापरीक्षण मानदण्ड, मार्गदर्शन तथा लेखापरीक्षण संग सम्बन्धित अन्य प्रचलित कानून बमोजिम गरिएको छ । वित्तीय विवरण तयार गर्ने स्थानीय तहसंग हामी स्वतन्त्र छौं । त्यसका लागि स्वीकृत आचारसंहिता अनुसार हामीले काम गरेका छौं । लेखापरीक्षणको क्रममा प्राप्त गरेका लेखापरीक्षण प्रमाणहरु हाम्रो राय व्यक्तगर्ने आधारका लागि पर्याप्त र उपयुक्त छन् भन्ने कुरामा कार्यालय विश्वस्त छ ।

वित्तीय विवरण उपर व्यवस्थापन र लेखाउत्तरदायी अधिकारीको जिम्मेवारी

आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तिय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ र स्थानिय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ तथा अन्य प्रचलित कानून बमोजिम सही र यथार्थ हुने गरी वित्तीय विवरण तयार गर्ने तथा जालसाजी वा अन्य गल्लिका कारण वित्तीय विवरण सारभूत रुपमा गलत आँकडा रहित स्वरुपमा बन्ने गरी आवश्यक आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली लागु गर्ने जिम्मेवारी पालिका व्यवस्थापनमा रहेको छ । गाउँ कार्यपालिका, अध्यक्ष र प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत गाउँपालिकाको वित्तीय प्रतिवेदन प्रक्रियाको अनुगमनका लागि जिम्मेवार रहेका छन् ।

वित्तीय विवरणको लेखापरीक्षण उपर लेखापरीक्षकको जिम्मेवारी

वित्तीय प्रतिवेदन समग्रमा जालसाजी वा अन्य गल्लि समेतका कारण सारभूत रुपमा गलत आँकडा रहित रहेको होस् भनि उचित आश्वस्तता प्राप्त गरी राय सहितको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन जारी गर्नु लेखापरीक्षणको उद्देश्य हो । लेखापरीक्षणमा उचित आश्वस्तताले सामान्यस्तरको आश्वस्ततासम्म प्रदान गरेको हुन्छ, तर लेखापरीक्षण ऐन तथा महालेखापरीक्षकको कार्यालयले अवलम्बन गरेका सरकारी लेखापरीक्षण मानदण्ड, मार्गदर्शन तथा लेखापरीक्षणसंग सम्बन्धित अन्य प्रचलित कानून बमोजिम लेखापरीक्षण सम्पादन भएकै अवस्थामा पनि सबै प्रकारका जालसाजीजन्य वा अन्य गल्लि पत्ता लगाउन सक्ने निश्चितता भने हुदैन । वित्तीय विवरणका उपयोगकर्ताले सामान्यतया गर्ने आर्थिक निर्णयमा नै फरक पार्न सक्ने अवस्था देखिएका एउटै वा समग्रतामा हुने विशेष वा जालसाजीजन्य वा अन्य गल्लिलाई सारभूत रुपमा गलत आँकडा मानिएको छ ।


२०७६/१२/२४

(चन्द्रकान्त भण्डारी)

नायव महालेखापरीक्षक

शिखर नगरपालिका

लेखापरीक्षण प्रतिवेदन

२०७५/७६

परिचय: स्थानीय नेतृत्वको विकास गर्दै स्थानीय शासन पद्धतिलाई सुदृढ गरी स्थानीय तहमा विधायिकी, कार्यकारीणी र न्यायीक अभ्यासलाई संस्थागत गर्न र स्थानीय सरकारको संचालन गर्न शिखर नगरपालिकाको स्थापना भएको हो । स्थानीय सरकारले संचालन गर्ने हरेक कार्यमा सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयलाई प्रवर्द्धन गर्नु र स्थानीय सरकारका हरेक काममा जनसहभागिता, उत्तरदायित्व, पारदर्शिता सुनिश्चित गरी नागरिकलाई लाभको वितरणमा सुलभ र गुणस्तरिय सेवा प्रदान गर्नु हो । सुदुर पश्चिम प्रदेशमा रहेको यो नगरपालिका अर्न्तगत अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र ११ वडाका ५५ समेत ५८ नगरसभा सदस्य रहेका छन भने नगरपालिकाको ५८५.३७ व.की.मी.क्षेत्रफलमा ३१,८०१ जनसंख्या रहेको छ ।

स्थानीय संचित कोष:- आर्थिक वर्ष २०७५/७६ स्थानीय संचित कोष आय व्यय हिसाबको संक्षिप्त अवस्था निम्न बमोजिम रहेको छ:

| सि.नं. | आयतर्फ | रकम | सि.नं. | व्ययतर्फ | रकम |
|--------|--------------------------------|--------------|--------|---------------------------|--------------|
| | विवरण | | | विवरण | |
| १ | गत वर्षको जिम्मेवारी | | १ | चालु खर्च | २८३५८१५५०१२७ |
| | क) नगद | | २ | पूँजीगत खर्च | १८७१६०२७०१९५ |
| | ख) बैंक | १८३२६५५३५१ | ३ | वित्तीय व्यवस्था भुक्तानी | |
| | ग) धरोटी | ८३९२०५ | | | |
| २ | राजस्व (आन्तरिक आय) | | | क) ऋण भुक्तानी | |
| | क) आन्तरिक राजस्व | ८८५२६५६४८ | | ख) व्याज भुक्तानी | |
| | ख) राजस्व बाँडफाँड केन्द्र | ७२८४८५१९५७ | | ग) अन्य भुक्तानी | |
| | ग) अन्य आय (मालपोत) | ५२३९५१ | ४ | लगानी | |
| ३ | वित्तीय हस्तान्तरण | | | ऋण लगानी | |
| | क) वित्तीय समानीकरण अनुदान | १०४०००००० | | शेयर लगानी | |
| | ख) सशर्त अनुदान | २२०१०६००० | | अन्य लगानी | |
| | ग) समपूरक अनुदान | | ५ | धरोटी फिर्ता | |
| | घ) विशेष अनुदान | | ६ | कोष खर्च | |
| ४ | प्रदेश सरकारबाट प्राप्त अनुदान | | ७ | मौज्दात | |
| | क) वित्तीय समानीकरण अनुदान | ६९७६००० | | क) नगद मौज्दात | |
| | ख) सशर्त अनुदान | १६०८००० | | ख) बैंक मौज्दात | २७०४०६०११८९ |
| | ग) समपूरक अनुदान | ३२३३००० | | धरोटी फिर्ता | २१०७९१ |
| | घ) विशेष अनुदान (राजश्व) | १६९३८७७७८ | | धरोटी बाँकी बैंक | ८४०९८६ |
| ५ | अन्तर स्थानीय तहबाट प्राप्त | | | | |
| ६ | वित्तीय व्यवस्था प्राप्ति | | | प्रदेश समपूरक फिर्ता | ३२३३००० |
| | क) ऋण प्राप्ति | | | अन्तर सरकारी फिर्ता | १३७५५५८ |
| | ख) साँवा प्राप्ति | | | शाःसर्त अनुदान फिर्ता | २१५७३७५१८७ |
| | ग) व्याज प्राप्ति | | | | |
| | घ) अन्य प्राप्ति | | | | |
| ६ | विभिन्न कोषतर्फको आय | | | | |
| ८ | जनसहभागिता (नगद) | | | | |
| ९ | विषयगत निकायबाट प्राप्त रकम | ८३३८५१७४६० | | | |
| १० | धरोटी आय | २१२५७२ | | | |
| ११ | लगानीको साँवा फिर्ता | | | | |
| १२ | अन्य विविध आय | | | | |
| | जम्मा | ५२५०१६५०९१९८ | | जम्मा | ५२५०१६५०९१९८ |

| दफा नं. | भौ.नं., मिति र व्यहोराहरू | बेरजू रकम |
|---------|--|-----------|
| | <p>स्थानीय तह सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ बमोजिम स्थानीय तहले आगामी आर्थिक वर्षको राजश्व र व्ययको अनुमान कार्यपालिकाबाट स्वीकृत गराई आषाढ १० गतेभित्र सभामा पेश गर्नुपर्ने, १५ दिनभित्र छलफल सम्पन्न गरी आषाढ मसान्तभित्र नै पारित गर्नुपर्ने व्यवस्था अनुसार २०७५ आषाढ मसान्तभित्र बजेट नगर सभाबाट पारित भएको छ । नगरपालिकाबाट प्राप्त विवरण अनुसार देहायका शीर्षकहरूमा सशर्त अनुदानबाट प्राप्त रकममध्ये खर्च गर्न बाँकी रहेको रु. २४८०७४९१.८७ फ्रिज भएको र रु.२१५७४४९१.८७ संघीय सञ्चित कोषमा र ३२३३०००। प्रदेश सञ्चित कोषमा २०७६।३।३१ मा दाखिला गरेको छ ।</p> <p>लेखापरीक्षणमा पेश भएको श्रेस्ता तथा आर्थिक कारोबारहरूको जोखिम विश्लेषण, लेखापरीक्षण नीति मापदण्ड, व्यवस्थापन प्रतिनिधित्व पत्र, लेखापरीक्षण मार्गदर्शन, व्यावसायिक लेखापरीक्षणका असल अभ्यासको आधारमा तयार गरीएको स्वीकृत लेखापरीक्षण योजना, कार्यक्रम र लेखापरीक्षणको विधि अनुसार लेखापरीक्षण सम्पन्न गरिएको छ । लेखापरीक्षकको जिम्मेवारी लेखापरीक्षणको निष्कर्ष सहित प्रतिवेदन जारी गर्नु हो भने आर्थिक कारोबार र वित्तीय विवरणको शुद्धताको जिम्मेवारी व्यवस्थापन पक्षको रहेको छ । उक्त आधारमा लेखापरीक्षण सम्पन्न गरी देखिएका व्यहोराहरू उपर मिति २०७६/८/१० मा व्यवस्थापनसँग छलफल गरी कायम भएका व्यहोराहरू निम्न अनुसार छन्:</p> | |
| | लेखापरीक्षणको क्रममा असुल भई रु.१०५०। दाखिला भएको छ । | |
| | वित्तीय लेखापरीक्षणबाट देखिएका व्यहोरा | |
| १. | <p>सञ्चित कोष : स्थानीय तहको सेवा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धि आदेश, २०७४ को दफा ६३ अनुसार नगरपालिका वा नगरपालिकाको स्थानीय सञ्चित कोषसंग आवद्ध हुने गरी वडामा एक खर्च खाता रहने तथा चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यमा वडाको खर्च खातामा रहेको सवै बाँकी रकम सम्बन्धित स्थानीय तहको संचित कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेता पनि साविकका गाउँ विकास समिति र वडाहरूले आर्थिक वर्षको अन्त्यमा बाँकि रहेको रु.२२,२९,५९६।५१ रकम सञ्चित कोषमा दाखिला गरेको नदेखिएकोले उक्त रकम संचित कोषमा दाखिला गरिनु पर्ने भनी गतवर्षको म.ले.प.को प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा व्यहोरा औल्याए पनि स्थिति यथावत छ ।</p> | |
| २. | <p>आर्थिक विवरण : स्थानीय निकाय आर्थिक प्रशासन नियमावली, २०६४ को नियम १९ अनुसार नगरपालिकाको लेखा दोहोरो श्रेस्ता प्रणालीको सिद्धान्तमा आधारित प्रोदभावी लेखा राख्नु पर्ने व्यवस्था छ । नगरपालिकाले सो अनुसार लेखा राखेको देखिएन । यसरी तयार गरिएका आर्थिक विवरणले वास्तविक आय र खर्चको स्थिति देखाउदैन भने शीर्षकगत खर्चको स्थिति समेत मुल्यांकन गर्न सकिने स्थिति देखिएन ।</p> | |
| ३. | <p>बैंक हिसाब : नगरपालिकाको खाता हिसाब र बैंक हिसाब एक आपसमा भिडान हुनुपर्दछ । नगरपालिकाको आयव्यय विवरण अनुसार (श्रेस्ताअनुसार) आषाढ मसान्तको मौज्दात रु.२८०९२३७८।८९ देखिएको छ, तर</p> | |

| दफा नं. | भौ.नं., मिति र व्यहोराहरू | बेरुजू रकम |
|---------|---|------------|
| | मिति २०७६।३।३१ को बैंक स्टेटमेन्ट अनुसार देहायका बैंक खातामा जम्मा रु.६७३७४२९९.०९ मौज्जात देखियो । नगरपालिकाको सेस्तामा र बैंक हिसाबमा रु.३९२८१९२०.२० फरक परेको देखिएकोले सो फरक हिसाब सम्बन्धमा बैंक हिसाब मिलान विवरण तयार गरी हिसाब मिलान गर्नुपर्दछ । | |
| ४. | <p>वित्तीय विवरण : स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ७२ मा नगरपालिकाकले प्रत्येक वर्ष साउन एक गते देखि आगामि वर्षको असार मसान्तसम्मको अवधिलाई आर्थिक वर्ष कायम गरी आय र व्ययको हिसाब राख्नुपर्दछ । साथै नगरपालिकाले सोही ऐनको दफा ६९ मा तोकीय अनुसार आफ्नो आर्थिक कार्य प्रणालीको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यस सम्बन्धमा देखिएका व्यहोरा देहाय बमोजिम छन्:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● लेखापरीक्षणका क्रममा बैंक नगदी किताव अद्यावधिक नरहेको, पेशकी खाता नराखेकोले कार्यालयले पेश गरेको आय-व्यय विवरण यथार्थ मान्न सकिएन । ● बैंक हिसाब समायोजनको विवरण प्राप्त हुन नसकेको । <p>त्यसैले तोकिए बमोजिमका वित्तीय विवरणहरू अद्यावधिक गरी आय र व्ययको वास्तविक स्थिति देखिने गरी आय व्ययको लेखांकन गर्नुपर्दछ ।</p> | |
| ५. | <p>बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा: स्थानीय तह संचालन ऐन, २०७४ को दफा ६७ मा नगरपालिकाले ४ सदस्यीय बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समिति गठन गरी आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम, कार्यक्रमको प्राथमिकिकरण, विषयक्षेत्रगत कार्यक्रम र कार्यक्रममा दोहोरोपना हुन नदिन कार्यक्रमको आपसि तादम्यता तथा परिपुरकता मिलाउने व्यवस्था छ । तर नगरपालिकाले उक्त समिति गठन गरेको पाईएन । त्यसैले कानून बमोजिम समितिको गठन गरी नगरपालिकाको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम, कार्यक्रमको प्राथमिकिकरण, विषयक्षेत्रगत कार्यक्रम र कार्यक्रममा दोहोरोपना हुन नदिन कार्यक्रमको आपसि तादम्यता तथा परिपुरकता मिलाउनेतर्फ ध्यान दिनुपर्दछ ।</p> | |
| ६. | <p>श्रोतअनुमान तथा बजेट सिमा: स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ६६ बमोजिम नगरपालिकामा प्राप्त हुने आन्तरिक आय, राजश्व बाँडफाँडबाट प्राप्त हुने रकम, अनुदान, ऋण र अन्य आयको प्रक्षेपण तथा सोको सन्तुलित वितरणको खाका र बजेट सिमा निर्धारण गर्न, बजेट तथा कार्यक्रमको प्राथमिकिकरण, बजेट तर्जुमा गर्दा मार्गदर्शन लगायतका कार्य गर्न ४ सदस्यीय श्रोत अनुमान तथा बजेट सिमा समिति गठनको व्यवस्था छ । तर नगरपालिकाले उक्त समितिले गठन गरेको पाईएन । त्यसैले कानून बमोजिम समितिको गठन गरी नगरपालिकाको बजेट तथा कार्यक्रमको प्राथमिकीकरण, बजेट सिमा निर्धारण र सोही अनुसार नगर सभामा बजेट तथा कार्यक्रम पेश तथा पारित गर्ने तर्फ ध्यान दिनुपर्दछ ।</p> | |
| ७. | <p>खर्च गर्ने अख्तियारी: स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७३ बमोजिम सभाबाट बजेट स्वीकृत भएको सात दिनभित्र प्रमुख वा अध्यक्षले प्रमुख प्रशासकिय अधिकृतलाई बजेट खर्च गर्ने अख्तियारी प्रदान गर्ने</p> | |

| दफा नं. | भौ.नं., मिति र व्यहोराहरु | | | | बेरुजू रकम |
|---------|---|--------------------------------------|--------------------|--------------------|---|
| | व्यवस्था छ । प्रशासकिय अधिकृतले १५ दिनभित्र वडा सचिवलाई कार्यक्रम र बजेटसहित प्रचलित कानून बमोजिम खर्च गर्ने अख्तियारी दिनुपर्ने व्यवस्था भएपनि बजेट कार्यान्वयनको लागि अख्तियारी प्रदान गर्ने गरेको पाइएन । अतः स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ बमोजिम बजेट खर्च गर्ने अख्तियारी प्रदान गरी खर्च गर्नुपर्ने पर्दछ । | | | | |
| ८. | क्षेत्रगत बजेट र खर्चको स्थिति: मिति २०७५/३/३१ मा नगरसभाबाट पारित क्षेत्रगत कार्यक्रम र बजेट खर्च स्थिति देहाय बमोजिम रहेको छ: + | | | | |
| | क्र.स. | क्षेत्र | बजेट | खर्च | खर्च प्रतिशत (जम्मा खर्चको तुलनामा) |
| | १ | आर्थिक विकास | १६९००००/- | १६८८०००/- | १.३५ |
| | २ | पुर्वाधार विकास | ५२८२००००/- | ५२६७००००/- | ४२.२५ |
| | ३ | सामाजिक विकास | ३९०७४०००/- | ३८०३५०००/- | ३०.५१ |
| | ४ | वातावरण तथा विपद व्यवस्थापन | २५३००००/- | २४८८०००/- | २.०० |
| | ५ | संस्थागत विकास, सेवा प्रवाह र सुशासन | २८७५१८४०/- | २८७५५०००/- | २३.०४ |
| | ६ | अन्य समपुरक | ५००००००/- | १०६१०००/- | ०.८५ |
| | | जम्मा | १२९८६५८४०/- | १२४६५८५००/- | |
| | उपरोक्त विवरण अनुसार नगरसभाले विनियोजन गरेको बजेट मध्ये सबैभन्दा बढी ४२.२५ र घटीमा ०.८५ प्रतिशत रहेको छ । | | | | |
| ९. | पुर्वाधार तर्फको क्षेत्रगत बजेट र खर्चको स्थिति : नगर सभाबाट पारित वित्तीय समानीकरण पुर्वाधार तर्फको क्षेत्रगत कार्यक्रम र बजेट व्यवस्थापनको स्थिति देहाय बमोजिम रहेको छ । | | | | |
| | क्र.सं | क्षेत्र | बजेट | खर्च | खर्च प्रतिशत (कुल पुर्वाधार बजेट खर्चको तुलनामा) |
| | १ | सडक | ३००२०००० | २१००८५५० | ४४.६२ |
| | २ | खानेपानी | ८४४५००० | ८४४५००० | १७.९४ |
| | ३ | सिंचाई | ७२८०००० | ७१५५००० | १५.२० |
| | ४ | भु-क्षय तथा ढल | ७५०००० | ७५००० | ०.१६ |
| | ५ | विद्यालय भवन तथा शौचालय | १३५२०००० | ७२००००० | १५.२९ |
| | ६ | खेलमैदान | १४७०००० | १२५५००० | २.६७ |
| | ७ | भोलुङ्गे पुल | १०१७०००० | ८५००००० | १८.०५ |
| | ८ | अन्य | ५५७९५०० | ४४२९५०० | ९.४१ |
| | | जम्मा | ४७६३१३४०/- | ४७०८०००० | |

| दफा नं. | भौ.नं., मिति र व्यहोराहरु | बेरुजू रकम | | | | | | |
|---|--|--------------------|--------------------------|------------|--------------------|-----------|---------|------|
| | उपरोक्त विवरण अनुसार नगरपालिकाले भौतिक पूर्वाधार तर्फको बजेटबाट सार्वजनिक सडक निर्माण, विद्यालय भवन निर्माण र भुक्षय नियन्त्रणमा क्रमशः ४४.६२%, १५.२९%, ०.१६% बजेट खर्च गरेकोले स्वीकृत लक्ष्य अनुसार प्रगति हुन सकेको छैन । | | | | | | | |
| १०. | आयको अनुमान: स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ६६ बमोजिम स्रोत अनुमान तथा बजेट सीमा निर्धारण समितिले नगरपालिकामा प्राप्त हुने आन्तरिक आयसमेतको व्यवस्थापन गर्न सक्ने व्यवस्था छ । नगरपालिकाले पेश गरेको आय-व्ययको अनुमानमा आन्तरिक आयतर्फ मालपोत, कर, सेवा शुल्क, दस्तुर वापत अनुमानित रु.७५ लाख आय प्राप्त हुने प्रक्षेपण गरेकोमा आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा रु.८८ लाख ५३ हजार अर्थात अनुमान भन्दा ११८ प्रतिशत बढी आय प्राप्त गरेको छ । आम्दानीका अन्य स्रोतको पहिचान गरी आयको अनुमान यर्थाथपरक बनाई आय आर्जन बृद्धि गर्नेतर्फ विशेष ध्यान दिन आवश्यक देखिएको छ । | | | | | | | |
| ११. | आन्तरिक आय: स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ६६ बमोजिम स्रोत अनुमान तथा बजेट सीमा निर्धारण समितिले नगरपालिकामा प्राप्त हुने आन्तरिक आय समेतको व्यवस्थापन गर्न सक्ने व्यवस्था छ । नगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा केन्द्रीय अनुदानबाट गरेको खर्चका तुलनामा आन्तरिक आयको स्थिति देहाय बमोजिम छ । | | | | | | | |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th>केन्द्रीय अनुदानबाट खर्च</th> <th>आन्तरिक आय</th> <th>आन्तरिक आय प्रतिशत</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>४७०७४१८२०</td> <td>८८५२६५६</td> <td>१.८८</td> </tr> </tbody> </table> | | | केन्द्रीय अनुदानबाट खर्च | आन्तरिक आय | आन्तरिक आय प्रतिशत | ४७०७४१८२० | ८८५२६५६ | १.८८ |
| केन्द्रीय अनुदानबाट खर्च | आन्तरिक आय | आन्तरिक आय प्रतिशत | | | | | | |
| ४७०७४१८२० | ८८५२६५६ | १.८८ | | | | | | |
| | उपरोक्त विवरण अनुसार स्थानीय तहमा प्राप्त केन्द्रीय अनुदानबाट भएको खर्चको तुलनामा आन्तरिक आयको हिस्सा १.८८ प्रतिशत मात्र रहेको छ । त्यसैले नगरपालिकाको आन्तरिक आय संकलनको दायरालाई फराकिलो पार्दै आन्तरिक आय बृद्धि गर्नेतर्फ ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ । | | | | | | | |
| १२. | आयव्ययको लेखा : स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७२(२) मा नगरपालिकाले नेपाल सरकारले निर्धारण गरेबमोजिमको आय र व्ययको वर्गिकरण तथा खर्च शीर्षकसम्बन्धी व्यवस्था अवलम्बन गर्नुपर्ने उल्लेख छ । कार्यालयले यो वर्ष एकल खाता कोष प्रणालीबाट सञ्चालन गरी भुक्तानी गर्नुपर्ने सामाजिक सुरक्षा भत्ता, बहुक्षेत्रीय पोषण, स्थानीय शासन तथा सामुदायिक विकास कार्यक्रमको बजेट स्थानीय तहको सञ्चित कोषमा जम्मा गरेर खर्च गरेको, चालु र पूँजीगत खर्च शीर्षकको विनियोजन तथा नेपाल सरकारको आय तथा व्यय शीर्षकको शीर्षकगत लेखाङ्कन पालना स्थिति कमजोर रहेको, योजनागत खाता अद्यावधिक हुन नसकेको देखिन्छ । कार्यालयले तोकिएको विनियोजन तथा खर्च प्रणाली अवलम्बन गर्दै आय तथा व्ययको शीर्षकगत परिपालनामा विशेष ध्यान दिनुपर्दछ । | | | | | | | |
| १३. | मध्यकालिन खर्च संरचना : अन्तर-सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा १७ मा स्थानीय तहले प्रत्येक आर्थिक वर्षमा आ-आफ्नो कार्यक्षेत्र भित्रका विषयहरुमा हुने सार्वजनिक खर्चको अनुमानित विवरण | | | | | | | |

| दफा नं. | भौ.नं., मिति र व्यहोराहरु | बेरुजू रकम |
|---------|--|------------|
| | तयार गर्दा आगामी तीन वर्षमा हुने खर्चको प्रक्षेपणसहित मध्यकालिन खर्चको संरचना तयार गर्नुपर्ने उल्लेख छ । नगरपालिकाले सार्वजनिक खर्च व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउने मध्यकालिन खर्च संरचना कार्यान्वयनमा ल्याएको छैन । स्रोतको वितरणमुखी प्रवृत्तिलाई नियन्त्रण गर्न, स्रोतसाधनलाई प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रमा प्रवाह गर्न तथा योजनाहरुलाई लागतलाभ विश्लेषण गरी लागतप्रभावी बनाउन मध्यकालिन खर्च संरचनालाई कार्यान्वयन गर्न कार्यालयले ध्यान दिनुपर्दछ । | |
| १४. | बजेट सीमा निर्धारण समिति : स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ६६(१) बमोजिम नगरपालिकामा प्राप्त हुने आन्तरिक आय, राजश्व बाँडफाँडबाट प्राप्त हुने रकम, अनुदान, ऋण र अन्य आयको प्रक्षेपण तथा सोको सन्तुलित वितरणको खाका र बजेट सीमा निर्धारण गर्न ७ सदस्यीय स्रोत अनुमान तथा बजेट सीमा निर्धारण समिति गठनको व्यवस्था छ । उक्त समितिले आयको प्रक्षेपण, साधनको सन्तुलित वितरणको खाका, बजेटको कूल सीमा, बजेटको क्षेत्रगत सीमा निर्धारण, बजेट तथा कार्यक्रमको प्राथमिकीकरण, विषयक्षेत्रगत बजेट तर्जुमा मार्गदर्शन तय गर्नुपर्ने जस्ता कार्यहरु फाल्गुन महिनाभित्र सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने र बजेट प्रक्षेपण गर्दा आगामी आर्थिक वर्षपछिको थप दुई वर्षको समेत प्रक्षेपण तयार गर्नुका साथै तयार भएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सीमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले चैत्र १५ गतेभित्र नगरपालिकाका विषयगत शाखा तथा वडा समितिलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने कानूनी व्यवस्था रहेकोमा नगरपालिकाले समितिको गठन गरेको छैन । ऐनमा व्यवस्था भएअनुसार बजेट सीमालगायतका क्षेत्रगत विषय समेटेटी बजेट प्रक्षेपण सम्बन्धी नियम तथा कार्यविधिको तर्जुमा एवं सोको पालनामा सम्बन्धित पदाधिकारीको ध्यान जानुपर्दछ । | |
| १५. | बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा : स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ६७(१) मा ४ सदस्यीय बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समिति गठन गरी आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम, बजेट तथा कार्यक्रम, कार्यक्रमको प्राथमिकीकरण, विषय क्षेत्रगत कार्यक्रम, योजना तथा कार्यक्रममा दोहोरोपना हुन नदिई आपसी तादात्म्यता तथा परिपूरकता कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था अनुसार समिति गठन गरेको भएता पनि आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम, कार्यक्रमको प्राथमिकीकरण, कार्यक्रमबीच परिपूरकता कायम गरेको समेत नदेखिएकाले बजेट तर्जुमा गर्दा ऐनमा भएको व्यवस्थाको परिपालनामा ध्यान दिनुपर्दछ । | |
| | नियमितताको लेखापरीक्षणबाट देखिएका व्यहोरा | |
| १६. | आन्तरिक नियन्त्रण : स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७८ बमोजिम स्थानीय तहले आफ्नो कार्यालयबाट सम्पादन गरिने कार्य मितव्ययी, प्रभावकारी, नियमित र दक्षतापूर्ण ढंगबाट सम्पादन गर्न र वित्तीय प्रतिवेदन प्रणालीलाई विश्वसनिय बनाउन तथा प्रचलित कानून बमोजिम कार्य सम्पादन गर्न आ-आफ्नो कामको प्रकृती अनुसारको आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने व्यवस्था | |

| दफा नं. | भौ.नं., मिति र व्यहोराहरु | बेरुजू रकम |
|---------|--|------------|
| | <p>छ। यस सम्बन्धमा देखिएका व्यहोराहरु देहाय बमोजिम छन्:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● नगरपालिकाले तोकिए बमोजिम आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली तयार गरी लागू गरेको छैन । ● नगरपालिकामा समयोजन भई आएका साविकका गा.वि.स. र विषयगत कार्यालयबाट हस्तान्तरण भई आएका जिन्सीको अवस्था देखिने गरी विवरण तयार गरेको छैन । ● नगरपालिकाको वडा कार्यालय र विषयगत शाखामा छुट्टा छुट्टै जिन्सी खाता राखेको र जिन्सी सामानको एकीकृत विवरण समेत नबनेको, ● नगरपालिकाको मूल जिन्सी खातामा सबै जिन्सी सामानको आम्दानी नजनाई वडागत रुपमा जिन्सी खाता तयार गरेबाट जिन्सी सामान एकिकन गर्न तथा अभिलेख राख्न कठिन हुने देखिएको । ● कतिपय कारोबारहरु मूल्य अभिवृद्धि कर बेगरका फर्मसँग गरेको । ● नगरपालिका क्षेत्र भित्र कोष प्रमाणित तथा भ्रमण प्रतिवेदन बेगर अनुगमन तथा दैनिक भ्रमण भत्ता खर्च लेख्ने गरेको । ● विषयगत क्षेत्रमा संचालन हुने कार्यक्रम समेत बैठक भत्ता, भ्रमण भत्ता, तालिम, गोष्ठी तर्फ केन्द्रीत भई वितरणमुखी मात्र देखिएको । ● सार्वजनिक खरिद नियमावली बमोजिम कार्यालयले खरिद गुरु योजना तथा वार्षिक खरिद योजना तयार नगरी खरिद कारवाही संचालन गरेको । ● नगरपालिकाले तोकिए बमोजिम Sub-National Treasury Regulatory Application (SUTRA) प्रयोग गरी लेखा राख्नुपर्नेमा सो गरेको छैन । ● महालेखा नियन्त्रक कार्यालयबाट जारी एकीकृत आर्थिक संकेत तथा वर्गीकरण र व्याख्या अनुसार एकीकृत आर्थिक संकेत प्रयोग गरेको छैन । ● विगत वर्षको बेरुजू लगत अद्यावधिक गरेको छैन । ● स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४को दफा ११ बमोजिम श्रोत नक्सांकन वा नगरपालिकाको प्रोफाईल तयार गरेको छैन । <p>अतः तोकिए बमोजिम आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीलाई प्रभावकारी र विश्वसनीय बनाई सार्वजनिक सेवा प्रवाह सुदृढ बनाउने तर्फ ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने देखिन्छ ।</p> | |
| १७. | <p>आन्तरिक लेखापरीक्षण: स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७७ र ७८ अनुसार कार्यालयले आन्तरिक लेखापरीक्षण गराउनु पर्ने र आन्तरिक लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा समावेश भएका बेरुजू अन्तिम लेखापरीक्षण हुनु अगावै नियमित गराउनु पर्ने नियमित गराई वा प्रमाण पेश गर्नुपर्नेमा प्रमाण पेश गरी वा</p> | |

| दफा नं. | भौ.नं., मिति र व्यहोराहरू | बेरुजू रकम |
|---------|--|------------|
| | असुल उपर गर्नु पर्ने असुल उपर गरी बेरुजू लगत कट्टा गराउनु पर्ने व्यवस्था छ । कार्यालयले आ.व.२०७५।७६ को आन्तरिक लेखापरीक्षण गराएकोमा आन्तरिक लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा समावेश भएको बेरुजूको कुनै पनि कारवाही गरेको छैन । ऐनमा भएको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्नुपर्दछ । | |
| १८. | आ.ले.प.शाखा : प्रत्येक स्थानीय तहले आफ्नो आन्तरिक कारोवार, आन्तरिक जाच एवं आर्थिक कार्य प्रणाली प्रभावकारी र व्यवस्थित गराउन आन्तरिक लेखापरीक्षण शाखा गठन गर्नुपर्ने व्यवस्था भएपनि आन्तरिक लेखापरीक्षण शाखा गठन भएको छैन । आन्तरिक लेखापरीक्षण शाखा गठनको अभावमा आर्थिक कारोवार अव्यवस्थित भई वित्तीय जोखिम बढ्ने संभावना रहन्छ । तसर्थ यस नगरपालिकाले आन्तरिक लेखापरीक्षण शाखा गठन गरी आर्थिक कारोवारको यथार्थता एवं वित्तीय जोखिम न्यूनीकरण गर्ने तर्फ ध्यान दिनु पर्दछ । | |
| १९. | बरबुभारथ : मन्त्रालयको मिति २०७३।१२।२५ को आर्थिक कारोवार तथा खाता सञ्चालन सम्बन्धमा थप स्पष्ट पारिएको परिपत्रको दफा १७ बमोजिम नगरपालिका तथा नगरपालिकामा समाहित भएका साविकका गाउँ विकास समिति तथा नगरपालिकाको नाममा रहेको पेशकी तथा बेरुजू अभिलेख समायोजन भएको नगरपालिकामा कायम गरी नियमानुसार पेशकी फछ्यौट तथा बेरुजू सम्परीक्षण कार्य गर्नुपर्नेमा यस नगरपालिकामा समाहित भएका साविकका विषयगत कार्यालयको बेरुजू लगत तथा सम्परीक्षणको अभिलेख नगरपालिकाले एकित गरी अध्यावधिक नगरेकोले नगरपालिकाले उक्त व्यवस्थाको कार्यान्वयन गर्नुपर्दछ । | |
| २०. | सम्पत्ति हस्तान्तरण : स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ९७, ९८ र १०४ अनुसार विषयगत कार्यालयको चल अचल सम्पत्ति, दायित्व तथा अभिलेख त्यसरी कायम भएका नगरपालिका वा नगरपालिकामा स्वतः हस्तान्तरण हुने व्यवस्था छ । यसरी हस्तान्तरण हुने सम्पूर्ण सम्पत्तिको अभिलेख तथा जिन्सी लगत खाता २०७५ असार मसान्त भित्र स्थानीय तहले तयार गरी प्रतिवेदन तयार गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेकोमा नगरपालिकाले सम्पत्तिको अभिलेख तथा जिन्सी लगत तयार नगरेको, कम्प्युटर, ल्यापटप, प्रिन्टर, मोबाईल फोन सेट र अन्य फर्निचर जस्ता मूल्यवान समानहरू जिम्मेवारी सार्ने गरेको पाईएन । यसरी जिन्सी मालसामानको आम्दानी नजनाउँदा जिन्सी मालसामानहरू हराउन, हिनामिना हुन सक्ने हुँदा खरिद गरिएका मालसामानहरूको प्रकृति अनुसार सम्बन्धित जिन्सी खातामा आम्दानी जनाई जिन्सी खाता अद्यावधिक गर्नुपर्दछ । | |
| २१. | कल्याण कोष :स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा९१ बमोजिम स्थानीय तहले स्थानीय सेवाका कर्मचारीले निजको सेवाशर्त तथा कानून बमोजिम अवकास हुँदा प्राप्त गर्ने योगदानमा आधारित उपादान, औषधिउपचार लगायतका सुविधा उपलब्ध गराउन अवकास कोषको स्थापना गर्ने व्यवस्था छ । व्यवस्था स्थानीय तहले कार्यालयलाई कर्मचारी कल्याण कोषको लागि आवश्यक पर्ने रकम जम्मा गरेको देखिएन । तसर्थ कानूनको परीपालना गर्नु पर्दछ । | |

| दफा नं. | भौ.नं., मिति र व्यहोराहरु | बेरुजू रकम | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|--|---------------------|--------------------|---------------------|----------------|----------|----|-------------------------|-------------------------|----------------|----------------|--|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|--|---------|--|-------|-------|-------|-------|--|
| २२. | <p>तलबी प्रतिवेदन : स्थानिय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ बमोजिम स्थानीय तहअन्तर्गतका कर्मचारीहरुको वार्षिक तलबी प्रतिवेदन आन्तरीक लेखापरीक्षकबाट पारित गराई तलब खर्च लेख्नुपर्नेमा कार्यालयले कर्मचारीको तलबी प्रतिवेदन पारित नगरी रु.१,५४,९८,३७४।०० तलब खर्च लेखेको छ । तलबी प्रतिवेदन पारित नहुँदा ग्रेडसमेत यकिन हुन सकेन । तलबी प्रतिवेदन पारित गरेर मात्र तलब खर्च लेख्नुपर्दछ ।</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| २३. | <p>कर्मचारी ब्यवस्था : कार्यालयले उपलब्ध गराएको स्वीकृत दरबन्दी विवरण अनुसार स्थायी कर्मचारीको दरबन्दी २९ रहेता पनि पदपूर्ति १४ मात्र रहेको देखियो । रा.प.द्वितिय अधिकृतसहित १५ पद रिक्त रहेका छन् । तिमध्ये २ जना करारमा राखी कार्यसञ्चालन गरिएको छ । जनशक्तिको अभावमा नगरपालिकाको कार्यसम्पादन र सेवाप्रवाहमा समेत असर परेकाले दरबन्दी अनुसार पदपूर्ति गरिनुपर्दछ ।</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| २४. | <p>वडा सचिवको पदपूर्ति : नगरपालिका अन्तर्गतका वडा कार्यालयबाट संचालित सेवा प्रवाहमा महत्वपूर्ण भूमिका रहेका वडा सचिवको दरबन्दी र पदपूर्तिको अवस्था देहाय बमोजिम छ ।</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th>वडा संख्या</th> <th>वडा सचिवको दरबन्दी</th> <th>वडा सचिवको पदपूर्ति</th> <th>रिक्त वडा सचिव</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>११</td> <td>११</td> <td>५</td> <td>६</td> </tr> </tbody> </table> <p>उपरोक्त विवरण अनुसार नगरपालिकाका ११ वटा वडा सचिव मध्ये ५ जनाको पदपूर्ति भई ६ जनाको दरबन्दी रिक्त रहेको छ । यसले गर्दा वडापालिकाको काम कारवाहीमा प्रभावित हुने तथा दैनिक प्रशासनिक कार्यमा बाधापर्ने हुनाले यस तर्फ सम्बन्धित पक्षको ध्यान जानुपर्ने देखियो ।</p> | वडा संख्या | वडा सचिवको दरबन्दी | वडा सचिवको पदपूर्ति | रिक्त वडा सचिव | ११ | ११ | ५ | ६ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| वडा संख्या | वडा सचिवको दरबन्दी | वडा सचिवको पदपूर्ति | रिक्त वडा सचिव | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ११ | ११ | ५ | ६ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| २५. | <p>चौमासिक खर्च: नगरपालिकाले स्वीकृत भएको कार्यक्रमको चौमासिक प्रगति विवरण बनाई पेश गर्नुपर्ने र चौमासिक लक्ष्य तथा कार्यक्रम बमोजिम कार्यसम्पादन सम्पन्न गरी कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नुपर्दछ । नगरपालिकाले उपलब्ध गराएको विवरण अनुसार चौमासिक खर्चको स्थिति देहाय अनुसार छ:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">सि. नं.</th> <th rowspan="2">व.उ.शि.नं.</th> <th rowspan="2">कूल खर्च</th> <th colspan="3">कूल खर्च</th> <th rowspan="2">आषाढ महिनाको मात्र खर्च</th> </tr> <tr> <th>प्रथम चौमासिक</th> <th>दोस्रो चौमासिक</th> <th>तेस्रो चौमासिक</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>कूल जम्मा खर्च</td> <td>४७३९.७५</td> <td>१०९.४५१</td> <td>१६३१.९७</td> <td>२०१३.२६</td> <td>११९१.१८</td> </tr> <tr> <td></td> <td>प्रतिशत</td> <td></td> <td>२३.०९</td> <td>३४.४३</td> <td>४२.४८</td> <td>२५.१३</td> </tr> </tbody> </table> <p>नगरपालिकाले उपलब्ध गराएको विवरणअनुसार वार्षिक रु.४७ करोड ३९ लाख ७५ हजार निकासा भएकोमा प्रथम चौमासिकमा रु.१० करोड ९४ लाख ५१ हजार अर्थात २३.०९ प्रतिशत, दोश्रो चौमासिकमा रु.१६ करोड ३१ लाख ९७ हजार, अर्थात ३४.४३ प्रतिशत र तेस्रो चौमासिकमा रु.२० करोड १३ लाख २६ हजार, अर्थात ४२.४८</p> | सि. नं. | व.उ.शि.नं. | कूल खर्च | कूल खर्च | | | आषाढ महिनाको मात्र खर्च | प्रथम चौमासिक | दोस्रो चौमासिक | तेस्रो चौमासिक | | कूल जम्मा खर्च | ४७३९.७५ | १०९.४५१ | १६३१.९७ | २०१३.२६ | ११९१.१८ | | प्रतिशत | | २३.०९ | ३४.४३ | ४२.४८ | २५.१३ | |
| सि. नं. | व.उ.शि.नं. | | | | कूल खर्च | कूल खर्च | | | आषाढ महिनाको मात्र खर्च | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | प्रथम चौमासिक | दोस्रो चौमासिक | तेस्रो चौमासिक | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | कूल जम्मा खर्च | ४७३९.७५ | १०९.४५१ | १६३१.९७ | २०१३.२६ | ११९१.१८ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | प्रतिशत | | २३.०९ | ३४.४३ | ४२.४८ | २५.१३ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| दफा नं. | भौ.नं., मिति र व्यहोराहरु | बेरुजू रकम | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|--|------------------------|-------------------|------------------------|----------------------|----|---|---|-----------|------|---|--------------|-----|---|----------------|-----|----|------------|-----|---------------------|--|--|----|----------------|-----|----|------------------|-----|----|---------------|-----|------------------------------------|--|--|----|-----------------------|----------|----|---------------------|-----------|--|
| | प्रतिशत खर्च गरेको देखिएको छ । यसरी नै आषाढ महिनामा मात्र रु. ११ करोड ९१ लाख १८ हजार अर्थात २५.१३ प्रतिशत खर्च देखिनुले आषाढमा आएर खर्चको चाप बढेको देखिएकाले सन्तुलित खर्च व्यवस्थापन भएको देखिएन । स्वीकृत कार्यक्रम अनुसार चौमासिक रुपमा सन्तुलित खर्च हुने गरी कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिनुपर्दछ । | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| २६. | प्रशासनिक खर्च: कुल आन्तरिक आयको तुलनामा प्रशासनिक खर्चको सीमा निर्धारण गरी खर्च गर्नुपर्नेमा सो सीमा निर्धारण नगरेकोले कुल आय ८८,५२,६५६।४८ को शत प्रतिशत नै प्रशासनिक खर्च गरेको पाईयो । यस्तो खर्चको सीमा निर्धारण गर्नु पर्दछ । | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| २७. | <p>सेवाप्रवाहको स्थिति : स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा १०२ अनुसार स्थानीय तहले आफ्नो अधिकारक्षेत्र भित्रका विषयमा ऐन बनाउन तथा सोको अधिनमा रही आवश्यकता अनुसार नियम, निर्देशिका, कार्यविधि र मापदण्ड बनाई कार्यान्वयनमा ल्याउन सक्ने ब्यवस्था अनुसार १० वटा ऐन, २ वटा नियमावली र ११ वटा कार्यविधि स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । यस वर्ष नगरपालिकाबाट निम्नअनुसार सेवाप्रवाह गरेको विवरण प्राप्तभएको छ :</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>सि.नं.</th> <th>विवरण</th> <th>जम्मा</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;">पञ्जिकरण तर्फ</td> </tr> <tr> <td>७</td> <td>जन्मदर्ता</td> <td>३२९४</td> </tr> <tr> <td>८</td> <td>मृत्यू दर्ता</td> <td>२३२</td> </tr> <tr> <td>९</td> <td>बसाईसराई दर्ता</td> <td>१२६</td> </tr> <tr> <td>१०</td> <td>विवाहदर्ता</td> <td>३९९</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;">अन्य सिफारिस</td> </tr> <tr> <td>१२</td> <td>घरबाटो सिफारिस</td> <td>२०३</td> </tr> <tr> <td>१३</td> <td>नागरिकता सिफारिस</td> <td>८७२</td> </tr> <tr> <td>१४</td> <td>नाता प्रमाणित</td> <td>८८७</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;">पूर्वाधार विकास सडक निर्माण</td> </tr> <tr> <td>१५</td> <td>कालोपत्रे सडक निर्माण</td> <td>२८० मीटर</td> </tr> <tr> <td>१६</td> <td>ग्राभेल सडक निर्माण</td> <td>१२०० मीटर</td> </tr> </tbody> </table> <p>स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ अनुसार नगरपालिकाबाट प्रदान गरिने सेवाप्रवाहमध्ये पञ्जिकरण बाहेकका अन्य सेवा सञ्चालनको स्थितिको सन्तोषजनक देखिएन ।</p> | सि.नं. | विवरण | जम्मा | पञ्जिकरण तर्फ | | | ७ | जन्मदर्ता | ३२९४ | ८ | मृत्यू दर्ता | २३२ | ९ | बसाईसराई दर्ता | १२६ | १० | विवाहदर्ता | ३९९ | अन्य सिफारिस | | | १२ | घरबाटो सिफारिस | २०३ | १३ | नागरिकता सिफारिस | ८७२ | १४ | नाता प्रमाणित | ८८७ | पूर्वाधार विकास सडक निर्माण | | | १५ | कालोपत्रे सडक निर्माण | २८० मीटर | १६ | ग्राभेल सडक निर्माण | १२०० मीटर | |
| सि.नं. | विवरण | जम्मा | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| पञ्जिकरण तर्फ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ७ | जन्मदर्ता | ३२९४ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ८ | मृत्यू दर्ता | २३२ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ९ | बसाईसराई दर्ता | १२६ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| १० | विवाहदर्ता | ३९९ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| अन्य सिफारिस | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| १२ | घरबाटो सिफारिस | २०३ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| १३ | नागरिकता सिफारिस | ८७२ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| १४ | नाता प्रमाणित | ८८७ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| पूर्वाधार विकास सडक निर्माण | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| १५ | कालोपत्रे सडक निर्माण | २८० मीटर | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| १६ | ग्राभेल सडक निर्माण | १२०० मीटर | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| २८. | <p>न्यायिक समिति र न्याय सम्पादन :स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ४६ अनुसार नगरपालिकाको उप-प्रमुखको नेतृत्वमा न्यायिक समितिले दफा ४९ अनुसार न्याय सम्पादनको कार्य गर्ने व्यवस्था छ । नगरपालिकाबाट प्राप्त विवरण अनुसार यस वर्ष न्यायिक समितिको कार्य सम्पादन अवस्था देहाय बमोजिम छ ।</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>दर्ता भएका विवाद</th> <th>फछ्यौट भएका विवाद</th> <th>फछ्यौट हुन बाँकी विवाद</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>२४</td> <td>२२</td> <td>२</td> </tr> </tbody> </table> <p>उपरोक्त विवरण अनुसार प्राप्त विवादको समयमै निरुपण तथा फछ्यौट गर्ने तर्फ ध्यान दिनुपर्दछ ।</p> | दर्ता भएका विवाद | फछ्यौट भएका विवाद | फछ्यौट हुन बाँकी विवाद | २४ | २२ | २ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| दर्ता भएका विवाद | फछ्यौट भएका विवाद | फछ्यौट हुन बाँकी विवाद | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| २४ | २२ | २ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| दफा नं. | भौ.नं., मिति र व्यहोराहरु | बेरुजू रकम | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|---|-----------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------|--|--|-----------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------|----------------------|-----|---|---|---|-----|------------------------|-----|---|---|---|-----|-----|--------------|--|--|--|--|--|
| | कार्यक्रमगत खर्चको लेखापरीक्षणबाट देखिएका व्यहोरा | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| २९. | <p>लक्ष्य प्रगति :- कार्यालयको चौमासिक प्रगती विवरण बनाई पेश गर्नुपर्नेमा कार्यालयले सञ्चालन गरेका स्थानीय स्तर, जिल्ला स्तरिय तथा केन्द्रिय स्तरियका आयोजना मध्ये मुल कार्यक्रम २३६ र सहायक कार्यक्रम ३१० योजनाको नियम बमोजिमको उल्लिखत ढाँचामा चौमासिक प्रगती विवरण तयार गरेको देखिएन । बजेट खर्च गर्ने तथा खर्चको तोकिएको ढाँचामा बाषिक प्रगति तयार नगर्ने कार्यकारी, प्राविधिक कर्मचारीलाई जिम्मेवार बनाउनु पर्दछ ।</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">कार्यक्रम/ योजना</th> <th rowspan="2">यो वर्ष कुलकार्यक्रम</th> <th colspan="4">वार्षिक प्रगति स्थिति</th> </tr> <tr> <th>शून्यप्रगति कार्यक्रम</th> <th>२५% सम्म प्रगति भएका कार्यक्रम</th> <th>५०% सम्म प्रगति भएका कार्यक्रम</th> <th>७५% सम्म प्रगति कार्यक्रम</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>मूलकार्यक्रम सङ्ख्या</td> <td>२३६</td> <td>२</td> <td>०</td> <td>०</td> <td>२३४</td> </tr> <tr> <td>सहायककार्यक्रम सङ्ख्या</td> <td>३१०</td> <td>०</td> <td>०</td> <td>०</td> <td>३१०</td> </tr> <tr> <td>रकम</td> <td>१८७९६०२७०.९५</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> | कार्यक्रम/ योजना | यो वर्ष कुलकार्यक्रम | वार्षिक प्रगति स्थिति | | | | शून्यप्रगति कार्यक्रम | २५% सम्म प्रगति भएका कार्यक्रम | ५०% सम्म प्रगति भएका कार्यक्रम | ७५% सम्म प्रगति कार्यक्रम | मूलकार्यक्रम सङ्ख्या | २३६ | २ | ० | ० | २३४ | सहायककार्यक्रम सङ्ख्या | ३१० | ० | ० | ० | ३१० | रकम | १८७९६०२७०.९५ | | | | | |
| कार्यक्रम/ योजना | यो वर्ष कुलकार्यक्रम | | | वार्षिक प्रगति स्थिति | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | शून्यप्रगति कार्यक्रम | २५% सम्म प्रगति भएका कार्यक्रम | ५०% सम्म प्रगति भएका कार्यक्रम | ७५% सम्म प्रगति कार्यक्रम | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| मूलकार्यक्रम सङ्ख्या | २३६ | २ | ० | ० | २३४ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| सहायककार्यक्रम सङ्ख्या | ३१० | ० | ० | ० | ३१० | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| रकम | १८७९६०२७०.९५ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ३०. | <p>योजनागत लक्ष्य प्रगति : यस नगरपालिका अन्तर्गत २०७५/७६ मा क्षेत्रगत तथा समानीकरण अनुदान समेत ५४६ योजना स्वीकृत गरेकोमा ५४४ योजना सम्पन्न गरेको उल्लेख छ । २ योजनामा शून्य प्रगति, ५४४ योजनामा ७५ प्रतिशत प्रगति भएको उल्लेख छ । शून्य तथा कम प्रगतिका सम्बन्धमा नगरपालिकाले स्पष्ट गरेको छैन । अतः कार्यान्वयन योग्य योजना तथा कार्यक्रमको पहिचान गरी समयमै योजना सम्पन्न गर्ने तर्फ ध्यान दिनुपर्दछ ।</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ३१. | <p>योजना र कार्यान्वयन: स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा २४ बमोजिम स्थानीय तहले योजना बनाउँदा सहभागितमूलक, उत्पादनमूलक र प्रतिफलप्राप्त योजना छनौट गरी प्राथमिकीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । साथै योजना बनाउँदा मध्यम तथा दिर्घकालीन प्रकृतिका आयोजनाहरुको सूचीसमेत तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने व्यवस्था छ । सो अनुसार दिर्घकालीन प्रकृतिका आयोजनाहरुको सूचि तयार गरेको पाईएन । योजना तयारी सम्बन्धी उक्त व्यवस्थाको पालना गरिनु पर्दछ ।</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ३२. | <p>सभाको निर्णय कार्यान्वयन- मिति २०७५/३१/३२ मा सम्पन्न नगरपालिकाबाट पारित विभिन्न क्षेत्रगत ५४६ वटा कार्यक्रम तथा अन्तर्गतका ३१० वटा सहायक कार्यक्रमसमेतको कार्यान्वयनको स्थितिसहितको सभाको निर्णय र प्रतिवेदन माग गरिएकोमा उपलब्ध हुन सकेन । अतः सभाको निर्णय कार्यान्वयन स्थिति प्रतिवेदन तयार गरी वर्षान्तमा समिक्षा गर्नुपर्दछ ।</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ३३. | <p>स्थानीय तथ्याङ्क, अभिलेख तथा स्रोत नक्साङ्कन : स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ११</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| दफा नं. | भौ.नं., मिति र व्यहोराहरु | बेरजू रकम |
|---------|--|-----------|
| | बमोजिम स्थानीयतहले आफ्नो क्षेत्रभित्रको आधारभुत तथ्याङ्क संकलन, अभिलेख र सोको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने तथा आफ्नो क्षेत्रभित्रको शैक्षिक, भौगोलिक अवस्था, प्राकृतिक श्रोत अन्तर्गत खानी, जंगल तथा अन्य श्रोत, पूर्वाधार अन्तर्गत सडक, पुल, खानेपानीलगायतको अभिलेख तथा श्रोत नक्साङ्कनसहितको नगरपालिकाको प्रोफाइल तयार गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । नगरपालिकाले स्थानीय तथ्याङ्क सम्बन्धी नीति, कानून र सोको मापदण्ड बनाएको तथा स्रोत नक्साङ्कन वा नगर प्रोफाइल तयार गरेको देखिएन । स्थानीय तहका हरेक प्राथमिकीकरणका क्रियाकलाप सञ्चालनमा तथ्याङ्कले महत्वपूर्ण भुमिका खेल्ने हुँदा सोको संकलन र अभिलेख राख्ने कार्यमा पहल हुनु आवश्यक छ । तथ्याङ्कवेगर प्राथमिकतामा राखिएका योजना, बजेट, प्रक्रिया र कार्यान्वयनले उचित सार्थकता नपाउने हुँदा यस तर्फ नगरपालिकाले अभिलेख व्यवस्थापनमा ध्यान दिनुपर्दछ । | |
| | राजश्व तथा आन्तरिक आयको लेखापरीक्षणबाट देखिएका व्यहोरा | |
| ३४. | राजश्व अभिलेख : कार्यालयले राजस्वको अभिलेख अध्यावधिक गरी सोको लेखापरीक्षण गराउने जिम्मेवारी कार्यालय प्रमुखको हुने व्यवस्था रहेको छ । स्थानीय तहहरुबाट लेखापरीक्षणको क्रममा राजस्व आम्दानीको निर्णय देखि असुली तथा दाखिला सम्मका अभिलेख व्यवस्थित गरी श्रेस्ता राखेको छैन । यसबाट स्थानीय तहको वास्तविक राजस्व असुली र दाखिला एकिन हुन सकेन । वर्तमान स्थानीय तहबाट समेत यसमा विशेष ध्यान दिई आन्तरिक आयको उचित अभिलेखाङ्कन तथा परिचालन गर्नुपर्दछ । | |
| ३५. | रसिद नियन्त्रण खाता : कार्यालयले राजस्व असुली तथा आन्तरिक आम्दानी गर्दा नगदी रसिदको प्रयोग गर्नुपर्ने र नगदी रसिद नियन्त्रण खाता राख्नुपर्ने व्दबस्था छ । कार्यालयले नगदी रसिद छपाई, गत वर्षको मौज्दात र खर्च तथा जिम्मेवारी सारेको परिमाण देखिने गरी रसिद नियन्त्रण खाता राखेको छैन । रसिद नियन्त्रण खाता नराखेकोले राजस्व असुलीमा प्रयोग भएको रसिदबाट असुल भएको सबै रकम दाखिला भएको छ भन्न सकिने आधार भएन । कतिपय वडाले आफैँले छपाई गरेर समेत रसिदको प्रयोग गरेको पाइयो । अतः कार्यालयले आगामी दिनमा रसिद नियन्त्रण तथा राजश्व असुलीलाई स्वचालित प्रणाली मार्फत व्यवस्थापन सम्बन्धमा विशेष ध्यान पुऱ्याउनुपर्ने देखियो । | |
| ३६. | सवारी कर : स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ६४ मा गाँउपालिकाले आफ्नो क्षेत्र भित्रका सवारीमा तोकिए बमोजिम सवारी दर्ता तथा वार्षिक सवारी कर र आफ्नो क्षेत्रमा आउने सबै प्रकारको सवारीमा तोकिए बमोजिम सवारी कर उठाउने उल्लेख भएतापनि यस्तो कर संकलन गरेको छैन । सम्बन्धित निकायसँग अबिलम्ब समन्वय गरी हरेक वर्ष दर्ता हुने सवारीको अभिलेख राखी कर असुलीलाई प्रभावकारी बनाउने तर्फ सम्बन्धित निकायको ध्यान जानु पर्दछ । | |
| ३७. | मनोरञ्जन कर : स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ६४ बमोजिम सिनेमा, भिडियो हल, | |

| दफा नं. | भौ.नं., मिति र व्यहोराहरु | बेरुजू रकम | | | | |
|---------|--|------------|-------------------|--------------|---------------|-------------|
| | सांस्कृतिक प्रदर्शन हल, संगित, थियटर, मनोरञ्जन, प्रदर्शन स्थल, ऐतिहासिक स्थलको प्रवेश शुल्कमा कर लिनुपर्ने व्यवस्था छ । आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा नगरपालिकाले यस शीर्षकमा कूनैपनि कर संकलन गरेको पाईएन । यस नगरपालिकाको क्षेत्र भित्रवाट उठ्नु पर्ने मनोरञ्जन कर एकिन गरी असुल गर्नुपर्दछ । | | | | | |
| ३८. | व्यवसाय कर : स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ५८ मा नगरपालिकाले आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र रहेका विभिन्न व्यवसाय गर्ने व्यक्तिवाट व्यवसाय कर उठाउन सक्ने व्यवस्था रहेको छ । नगरपालिकाको आर्थिक ऐन, २०७५ ले अनुसूची ४ अनुसार व्यवसाय कर लगाई असुल गर्ने उल्लेख छ । यस नगरपालिकाको कार्यालयले व्यवसायीहरुको लगत राखी राजस्व असुल गर्नुपर्नेमा व्यवसायीहरुको लगत राखी उक्त लगत अद्यावधिक गरी लगतमा भएका सम्पूर्ण व्यवसायीहरुवाट कर रकम संकलन गरेको पाइएन । नगरपालिका क्षेत्रभित्रका व्यवसायलाई व्यवसायीको अभिलेख राखी करको दायराभित्र ल्याउनुपर्दछ । | | | | | |
| ३९. | राजश्व दाखिला : प्रदेश आर्थिक कार्यविधि ऐन अनुसार जिम्मेवार व्यक्तिले आफ्नो जिम्मामा आएको सरकारी नगदी सोही दिन दाखिला गरी सेस्ता खडा गर्नु पर्ने व्यवस्था छ । साथै सोही ऐन अनुसार तोकिएको समयमा राजश्व रकम दाखिला नगरेमा सम्बन्धित तालुक कार्यालयले १० दिन सम्म ढिला गरेको भए १० प्रतिशत, १५ दिन सम्म ढिला गरेको भए १५ प्रतिशत जरिवाना गरी सो समेत दाखिला गर्न लगाउने र १५ दिन भन्दा ढिलो गरेको भए २५ प्रतिशत जरिवाना गरी नगद दाखिला गर्न लगाई कसूरको मात्रा अनुसार प्रचलित कानून बमोजिम विभागीय कारवाही समेत गर्न गराउन सक्ने व्यवस्था छ । कार्यालय अर्न्तगत ११ वटा वडा नगरपालिका प्राप्त गरेको राजश्व रकम ऐनमा भएको व्यवस्था अनुसार तोकिएको अवधि भित्र दाखिला गरेको छैन । यसरी ढिला हुने गरी राजश्व रकम बैक दाखिला भएको अवधिको कार्यालयले छानविन गरी, जरिवाना रकम असुल गर्नुपर्ने देखिन्छ । कार्यालयले सम्पूर्ण वडा कार्यालयहरुले प्राप्त गरेको आन्तरिक राजश्व रकम र बैकमा दाखिला गरेको विवरण पेश गरेको छैन । | | | | | |
| ४०. | प्राकृतिक स्रोतको उपयोग: प्राकृतिक श्रोत अर्न्तगत सेती नदीको समूहगाड देखि वान्द्रडुग्रीसैन सम्मका ढुगां गिट्टि र बालुवाको संकलन गरेवापत टेण्डरको माध्यमवाट राजस्व संकलनको लागि सिद्धवावा कन्ट्रक्सन ले मूल्य अभिवृद्धि कर वाहेक रु ३६२०,०००। रकम बुझाउने गरी मिति २०७५।८।३ मा सम्झौता भएकोमा राजस्व संकलन सम्बन्धी श्रेस्ता परीक्षण गर्दा निम्नानुसार देखियो : | | | | | |
| ४०.१. | सम्झौता मिति २०७५।८।१३ वाट ०७६।२।३० गते सम्म राजस्व संकलन गर्नपाउने उल्लेख छ । सम्झौतामा बुझाउनु पर्ने निम्नानुसार सर्त भएकोमा रकम ढिला बुझाएको हुँदा प्रदेश आर्थिक कार्यविधि ऐन २०७४ अनुसार निर्धारित अवधि भन्दा ढिलो दाखिला गरेकोले जरिवाना रकम रु २२३१५०। नीजवाट असुल उपर गर्नुपर्ने रु. | २२३१५०। | | | | |
| | किस्ता | रकम | बुझाउनुपर्ने मिति | बुझाएको मिति | ढिलो भएको दिन | जरिवाना रकम |

| दफा नं. | भौ.नं., मिति र व्यहोराहरू | | | | | | बेरुजू रकम |
|---|--|------------|-----------------|---------------------|-----|-----------|------------|
| | पहिलो | १०८६०००। | २०७५।१।०३ भित्र | २०७६।१।२२ | ८० | ६९५०६।८० | |
| | दास्रो | १४४८०००। | २०७५।१।३० भित्र | २०७६।३।१२ | १२० | ११९०१३।६९ | |
| | तेस्रो | १०८६०००। | २०७६।१।३० भित्र | २०७६।३।१२ | ६० | ४४६३०।१३ | |
| | जम्मा | ३६२०००। | | | | २२३९५। | |
| ४०.२. | राजस्व संकलनकर्ताले मूल्य अभिवृद्धि कर वाहेक कर रु ३६२०,००० वुम्फाएमा लेखापरीक्षण अवधि २०७६।८।५ गते सम्म मूल्य अभिवृद्धि कर रु.४७०६००। वुम्फाएको देखिएन । तथर्स मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन अनुसार ढिलो वापतको जरिवाना समेत असुल उपर गरि नगरपालीकाको नामवाट संघिय राजस्वमा दाखिला गर्नुपर्ने रु. | | | | | | ४७०६००। |
| ४०.३. | स्थानिय सरकार संचालन ऐन २०७४ को दफा ६४(३) मा असुल भएको राजस्वको ४० प्रतिशत राजस्व संघिय सरकारको कोषमा दाखिला गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । नगरपालिकाले संकलन गरेको राजस्व रु ३६,२०,०००। को ४० प्रतिशतले हुने रु १४,४८,०००। लेखापरीक्षण अवधिसम्म प्रदेश संचितकोषमा राजस्वमा पठाएको छैन तसर्थ उक्त रकम प्रदेश संचितकोषमा राजस्वमा दाखिला हुनुपर्ने रु | | | | | | १४४८०००। |
| खरिद व्यवस्थापनको लेखापरीक्षणबाट देखिएका व्यहोरा | | | | | | | |
| ४१. | वार्षिक खरिद योजना/ गुरुयोजना - सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ ले सार्वजनिक निकायले तोकेको सीमाभन्दा बढी रकमको खरिद गर्दा तोकिए बमोजिमको खरिद गुरुयोजना र वार्षिक खरिद योजना तयार गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यस्तै सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ७ ले वार्षिक १० करोडभन्दा बढीको खरिद गर्दा गुरुयोजना तयार गर्नुपर्ने नियम ८ ले वार्षिक १० लाखभन्दा बढीको खरिद गर्दा वार्षिक खरिद योजना बनाउनुपर्ने व्यवस्था छ । यस नगरपालिकाले विभिन्न शीर्षक अन्तर्गत वार्षिक रु.१८,७१,६०,२७०.९५ पूँजीगत खर्च/खरिद निर्माण कार्य गरेको छ । तर नगरपालिकाले आफ्नो खरिद नियमावली नबनाएको अवस्थामा उक्त ऐन, नियम बमोजिम वार्षिक खरिद योजना र गुरुयोजना नबनाई खरिद कार्य गरेको देखियो । अतः नगरपालिकाले उक्त नियमावली बमोजिम खरिद योजना/गुरुयोजना बनाई व्यवस्थित र प्रभावकारी हुने गरी खरिद कार्य गर्नुपर्दछ । | | | | | | |
| ४२. | सवारी साधन खरिद -स्थानीय तहमा बजेट तर्जुमा, कार्यान्वयन, आर्थिक व्यवस्थापन तथा सम्पत्ति हस्तान्तरण सम्बन्धि निर्देशिका, २०७४ को दफा ५.१५ मा नेपाल सरकारबाट उपलब्ध गराइएको बजेट तथा स्रोत साधनबाट कार्यालयको नियमित प्रयोजनका लागि सवारी साधन खरिद गर्न नसकिने व्यवस्था छ । नगर पालिकाले यस वर्ष २ वटा बस, १ वटा टिपर १ वटा जिप, १ वटा एम्बुलेन्स खरिद गरी निम्नानुसार रु.१ करोड ४१ लाख ७३ हजार खर्च गरेको छः | | | | | | |
| | सि.नं | सवारी साधन | संख्या | यस आ.व.मा खरिद भएका | | | |
| | १ | कार/जिप | १ | ३६९५००० | | | |
| | २ | बस | २ | ५६६१२३४ | | | |

| दफा नं. | भौ.नं., मिति र व्यहोराहरु | | | | बेरुजू रकम |
|---------|---|------------|---|------------|------------|
| | ३ | टिपर | १ | ३८६९००० | |
| | ४ | एम्बुलेन्स | १ | ९४८००८ | |
| | | जम्मा | | १४९७३२४२/- | |
| | उपरोक्त बमोजिम नगरपालिकाको आफ्नो आन्तरिक आय रु.८८५२६५६.४८ मात्र भएको अवस्थामा वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट सवारी साधनमा यति ठुलो धनराशि खर्च गरेको नियमसम्मत देखिएन । | | | | |
| ४३. | <p>प्राविधिक बिल र कार्य सम्पन्न: सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को नियम १२३(१) मा खरिद सम्झौता अनुसार सार्वजनिक निकायले रनिड बिल वा अन्य कुनै बिल बिजकको भुक्तानी गर्दा प्राविधिक नापजाँच गरी नापी कितावमा उल्लेख भएको वास्तविक कार्यसम्पादनको आधारमा भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । उपभोक्ता समितिहरुबाट सञ्चालित योजनाको ठेक्का बिलहरुमा लागत अनुमान र वास्तविक कामको मूल्याङ्कनमा बराबर परिमाण र रकम उल्लेख भएको देखिन्छ । लागत अनुमान बराबर नै मूल्याङ्कन भएको देखिएकाले वास्तविक काम कति भएको हो भन्ने सम्बन्धमा आश्वस्त हुन सक्ने अवस्था देखिएन । प्राविधिकले पेश गर्ने कार्य सम्पन्न प्रतिवेदनमा कार्य सम्पन्न गर्नुपर्ने मिति र कार्य सम्पन्न भएको मिति लगायतका इन्जिनियरिड नर्स अनुसार बिलमा खुलाउनुपर्ने तथ्याङ्क उल्लेख गरेको पाईएन । यसले गर्दा कुन काम कहिले सम्पन्न गर्नुपर्ने र तोकिएको अवधिमा सम्पन्न भए/नभएको विषयमा यकिन हुन नसकिएको हुँदा प्राविधिकले इन्जिनियरिड नर्स अनुसारको उपभोक्ता समितिको बिल बनाउँदा नापजाँचलाई वास्तविक कार्यसम्पादनमा आधारित बनाउनुपर्दछ ।</p> | | | | |
| ४४. | <p>उपभोक्ता समिति : सार्वजनिक खरिद नियमावली ,२०६४ को नियम ९७ अनुसार उपभोक्ता समितिबाट काम गराउदा सम्पन्न निर्माण कार्यको सञ्चालन उपभोक्ता समितिले गर्नु पर्ने, खर्चको सूचना सार्वजनिक गर्नु पर्ने, निर्माण कार्यमा लोडर, एक्साभेटर, मेशीनहरु प्रयोग गर्न नहुने व्यवस्था छ । उपभोक्ता समितिबाट तोकिएको जनसहभागिता नजुटाउने साथै कार्यालयबाट गर्ने भुक्तानीमा आनुपातिक कट्टी नगर्ने, जटिल प्राविधिक पक्ष समावेश भएका आयोजना उपभोक्ता समितिबाट सञ्चालन गर्ने, योजना हस्तान्तरण नहुने तथा खर्च सार्वजनिक नगर्ने जस्ता कानूनी व्यवस्थाको पालना भएको पाईएन ।</p> | | | | |
| ४५. | <p>उपभोक्ता समिति छनौट - सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ९७ मा एक करोड सम्मको लागत अनुमान भएको निर्माण कार्य वा सो सम्बन्धी सेवा उपभोक्ता समिति वा लाभग्राही समुदायबाट गराउन सक्ने र यसका लागि सम्बन्धित काम र सेवाको प्रकृति, परिमाण, लाग्ने रकम, उपभोक्ता समिति वा लाभग्राही समुदायको व्यहोर्ने वा व्यहोर्नुपर्ने रकम र अन्य आवश्यक कुराहरु खुलाई सार्वजनिक निकायले सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरी प्रस्ताव माग गर्न वा त्यस्तो समिति वा समुदाय आफैले प्रस्ताव वा निवेदन पेश गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ । तर कार्यालयले यस वर्ष उपभोक्ता समितिबाट कार्य गराउँदा सम्झौताबाहेक</p> | | | | |

| दफा नं. | भौ.नं., मिति र व्यहोराहरू | बेरुजू रकम |
|---------|---|------------|
| | सम्झौतापूर्वका उक्त प्रकृया पालना गरेको कागजात तथा आधार पेश हुन आएन । यसबाट विकास निर्माण कार्यमा उपभोक्ता समिति छनौटको आधार पारदर्शी र प्रतिस्पर्धात्मक तवरले भएको देखिएन । यसबाट निर्माण कार्यको समय, लागत र गुणस्तरमा असर पर्ने हुँदा उपभोक्ता समिति वा लाभग्राही समूह छनौट गर्दा उक्त नियमावलीको व्यवस्था पालना गरी पारदर्शी र प्रतिस्पर्धात्मक तवरले गरिनुपर्दछ । | |
| ४६. | खर्च अनुमोदन- सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ९७(६) बमोजिम उपभोक्ता समिति वा लाभग्राही समुदायले हरेक किस्ताको कामको प्राविधिक मूल्याङ्कन, बिल भरपाई र खर्च प्रमाणित गर्ने कागजात त्यस्तो समिति वा समुदायको बैठकबाट अनुमोदन गराई सम्बन्धित सार्वजनिक निकायमा पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । कार्यालयबाट सञ्चालित योजनाहरू उपभोक्ता समितिमाफत सञ्चालन भएका र बिल भुक्तानीको लागि प्राविधिक मूल्याङ्कन पेश गर्ने गरेको भएता पनि अन्य बिल भरपाई र खर्च प्रमाणित गर्ने कागजातहरू समितिको पूर्ण बैठकबाट खर्च अनुमोदन गरेको प्रमाण र सार्वजनिक तथा सामाजिक लेखापरीक्षण गरी सोको प्रमाण पेश गर्ने गरेको छैन । कार्यालयले समेत अनुगमन समितिको खाली प्रतिवेदनमा हस्ताक्षर गरेको आधारमा खर्चको सुनिश्चितता यकिन गरी भुक्तानीको लागि पेश गर्ने गरेको अवस्था देखिन्छ । नियमको प्रावधानबमोजिम कागजात पेश गर्न लगाई खर्च थप पारदर्शी एवं यथार्थपरक बनाउनेतर्फ कार्यालयले ध्यान दिनुपर्दछ । | |
| ४७. | योजना हस्तान्तरण: निर्माण कार्य सम्पन्न भएपछि सार्वजनिक निकायले सोको रेखदेख, मर्मत सम्भार गर्ने जिम्मेवारीसमेत तोकी योजनाको स्वामित्व उपभोक्ता समिति वा लाभग्राही समुदायलाई नै हस्तान्तरण गर्नुपर्नेमा कार्यालयबाट सञ्चालित वार्षिक विनियोजन भएका योजनाहरू उपभोक्ता समितिमाफत सञ्चालन भएका सम्झौता अनुसारको कार्यको मात्र कार्य सम्पन्न प्रतिवेदन बनाई वार्षिक कार्यक्रम अनुसारको योजना सम्पन्न भएको यकिन गर्ने प्राविधिकहरूको प्रवृत्तिका कारण योजना पूर्ण रूपमा सम्पन्न हुने स्थिति नरहेको देखियो । योजनाहरू सम्पन्न भैसकेपश्चात समितिलाई नै हस्तान्तरण गर्नुपर्नेमा विगत वर्षदेखि सञ्चालन गरिएका योजना सम्बन्धित समुदायलाई मर्मत सम्भारको जिम्मेवारीसमेतको हस्तान्तरण गर्ने गरेको छैन । समयमा नै निर्माण कार्य सम्पन्न गरी आयोजनाहरूको स्वामित्व उपभोक्ता समिति मै रहने गरी हस्तान्तरण गर्ने कार्यमा सम्बन्धित निकायको ध्यान जानुपर्दछ । | |
| ४८. | सार्वजनिक तथा सामाजिक परीक्षण: स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७८ बमोजिम स्थानीय तहले सार्वजनिक सेवाप्रवाहलाई प्रभावकारी, दिगो र भरपर्दो बनाउन कार्यक्रमको सामाजिक परीक्षण अन्तर्गत सार्वजनिक परीक्षण र सार्वजनिक सुनुवाई गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । नगरपालिकाबाट वार्षिक सम्पन्न योजनाहरू कार्यालयको सेवाप्रवाह सम्बन्धमा सार्वजनिक सुनुवाई तथा सामाजिक परीक्षण भए गरेको पाईएन । ऐनले | |

| दफा नं. | भौ.नं., मिति र व्यहोराहरू | बेरुजू रकम | | | | | | | | | | | | |
|-----------|---|------------|--------------|------|--------------|---------|-----------|-----------|-----|------|-----------|-----------|-----|--|
| | तोकेअनुसार कार्यान्वयन भएका योजनागत विकास निर्माणका कार्यको सार्वजनिक एवं सामाजिक परीक्षण गर्ने व्यवस्था सुरु गर्नुपर्ने देखिन्छ । | | | | | | | | | | | | | |
| ४९. | <p>गुणस्तर परीक्षण: सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ११५(१) अनुसार सार्वजनिक निकायले आपूर्ति गरेका मालसामान सम्झौतामा उल्लेखित प्राविधिक स्पेसिफिकेसन र गुणस्तर बमोजिम भए नभएको निरीक्षण वा परीक्षण गर्नु गराउनुपर्ने व्यवस्था छ । कार्यालयबाट निर्माण भएका संरचनाहरू खरिद गरिएका यन्त्र उपकरण, ल्यापटप ग्याबियन सिमेन्ट पाईप लगायतको भुक्तानी गर्दा सामानको गुणस्तर परीक्षण गरेको छैन । अतः खरिद भएको निर्माण सामग्री लगायतका यन्त्र औजार लगायतका सामानहरूको गुणस्तर सम्बन्धमा सुनिश्चित गरिनुपर्दछ ।</p> | | | | | | | | | | | | | |
| ५०. | <p>कन्टिन्जेन्सी खर्चको अभिलेख- सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को नियम १०(७) अनुसार लागत अनुमान तयार गर्दा लागत अनुमानको ५ प्रतिशतमा नबढ्ने गरी कन्टिन्जेन्सी खर्च समावेश गर्न सकिने र नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालयको मिति २०७०/११/१५ को निर्णयअनुसार खर्च गर्दा पूँजीगत प्रकृतिको २ प्रतिशत र अन्य सानातिना खर्च ३ प्रतिशतभन्दा नबढ्ने गरी खर्च गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ । कार्यालयबाट योजना कार्यान्वयन गर्ने क्रममा प्रत्येक कार्यक्रम खर्चबाट ५ प्रतिशत का दरले बिलबाट यस्तो रकम कट्टी गर्ने गरेको छ । यसरी कट्टी गरेको रकमको कार्यक्रमगत कन्टिन्जेन्सी खर्चको अभिलेख खडा गरी राख्नु पर्नेमा राख्ने गरेको छैन ।</p> <table border="1" data-bbox="191 1176 1347 1312"> <thead> <tr> <th>कार्यक्रम</th> <th>लागत अनुमान</th> <th>खर्च</th> <th>खर्च प्रतिशत</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>पूँजीगत</td> <td>१२०००००/-</td> <td>११२६७९८/-</td> <td>२०%</td> </tr> <tr> <td>चालु</td> <td>५३०२९१०/-</td> <td>४५४०३७०/-</td> <td>८०%</td> </tr> </tbody> </table> <p>उपरोक्तानुसार चालु प्रकृतिको कार्यक्रममा ८० प्रतिशत र पूँजीगत तर्फ २० प्रतिशतमात्र खर्च गरेकोले नियममा भएको व्यवस्था पालनामा उदासिनता देखियो । कार्यालयले कन्टिन्जेन्सी खर्चको कार्यक्रमगत आम्दानी खर्चको अभिलेख राखि कन्टिन्जेन्सी रकमको तोकिएको क्षेत्रमा उपयोग तथा नियन्त्रणको व्यवस्था गरिनुपर्दछ ।</p> | कार्यक्रम | लागत अनुमान | खर्च | खर्च प्रतिशत | पूँजीगत | १२०००००/- | ११२६७९८/- | २०% | चालु | ५३०२९१०/- | ४५४०३७०/- | ८०% | |
| कार्यक्रम | लागत अनुमान | खर्च | खर्च प्रतिशत | | | | | | | | | | | |
| पूँजीगत | १२०००००/- | ११२६७९८/- | २०% | | | | | | | | | | | |
| चालु | ५३०२९१०/- | ४५४०३७०/- | ८०% | | | | | | | | | | | |
| ५१. | <p>उपभोक्ता समितिबाट निर्माण कार्य: सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ९७ अनुसार उपभोक्ता समितिबाट कार्य गराउदा सम्पूर्ण निर्माण कार्यको सञ्चालन उपभोक्ता समितिले गर्नुपर्ने, निर्माण कार्यमा लोडर, एक्साभेटर मेशिनको प्रयोग गर्न नहुने उल्लेख छ । नियमावलीको नियम ९७ (११) अनुसार उपभोक्ता समितिका लाभग्राही समुदायले निर्माण कार्य सम्पन्न गरिसकेपछि सम्बन्धित सार्वजनिक निकायले खटाएको प्राविधिक कर्मचारीबाट त्यस्तो कामको नापजाँच गराई त्यस्तो निकायबाट प्राप्त रकम र जनसहभागिताबाट</p> | | | | | | | | | | | | | |

| दफा नं. | भौ.नं., मिति र व्यहोराहरु | बेरुजू रकम | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|---|----------------------------|-----------|------------------------|-----------|---|------------------|--------------|----------|---|-------------|---------------------|----------|---|--------------|----------------|---------|---|-------------|----------------------------|-----------|-------|--|--|-----------|----------|
| | <p>व्यहोरिएको अंशसमेत कुलखर्चको विवरण सो निकायमा भुक्तानीको लागि पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । कार्यालयले यस वर्ष समानीकरण तथा सशर्त अनुदान (पूँजीगत) तर्फ सञ्चालित कार्यक्रमको विनियोजन भएको बजेट अनुसारको योजनागत सम्भौता सम्पन्न भएको उल्लेख छ । कार्यालयले अभिलेखको रुपमा ई.नापी कितावमा निर्माण कार्यमा लोडर, एक्साभेटर लगायतका मेशिन प्रयोग गर्ने गरी स्वीकृत लागत अनुमान अनुसार उपभोक्ता समितिलाई गएको भुक्तानीतर्फको सम्भौता अंकबाट कुल मूल्याङ्कन भएको कामको मूल्यमा ८० प्रतिशत यकिन गरी सम्भौता भएअनुसारको पुरै रकम भुक्तानी दिई बिलको मुल्याङ्कनमा बाँकी हुन आउने रकम एकमुष्ट उपभोक्ताको तर्फबाट भएको श्रमदानको अंश भनि उल्लेख गरेको देखियो । यसरी मूल्याङ्कन गर्दा अधिकांश योजनामा कुल काम कम देखिँदा उपभोक्ताको अंश न्यून देखिने अवस्था भएकाले स्वीकृत लागत अनुमानभन्दा वास्तविक कामको मूल्याङ्कन बिल अधिक देखाई कार्यालयबाट भुक्तानी हुने अंश पुरै भुक्तानी दिने र उपभोक्ताको अंश कम देखिने समस्यालाई टेवापुग्ने गरी लागत अनुमानभन्दा बढी कामको बिल बनाई पेश गर्ने गरेको अवस्था देखियो । उपभोक्ता समितिलाई भेरिएशन स्वीकृत गर्न नमिल्ने नियमावलीको व्यवस्था विपरीत प्राविधिकहरुले लागत अनुमानभन्दा बढीको उपभोक्ता समितिको कामको बिल तयार गरी भुक्तानीका लागि सिफारिस गर्ने गरेकाले यस्तो प्रवृत्तिमा नियन्त्रण हुनु पर्दछ ।</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ५२. | <p>पेशकी बाँकी: आर्थिक कार्यविधि २०७४ को नियम ७४ (३० मा पेशकी दिइएको रक म्याद भित्र फछ्यौट गर्नु गराउनु पेशकी लिन एवं दिने दुबैले कर्तव्य हुने कुरा उल्लेख छ । कार्यालयले देहायको कार्यक्रमको पेशकी रु.५९००००। र कर्मचारी तथा संस्थागत रु.१४७६००० समेत रु.२०६६०००। पेशकी दिएकोमा आर्थिक वर्षको अन्त्य सम्म बाँकि रहेकोले समयमा फछ्यौट गराउनु पर्ने देखिएको रु.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>क्र.सं.</th> <th>काम</th> <th>व्यक्ति तथा फर्मको नाम</th> <th>पेशकी रु.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>१</td> <td>प्रोत्साहन भत्ता</td> <td>उद्धव ब.मल्ल</td> <td>१५००००/-</td> </tr> <tr> <td>२</td> <td>सडक निर्माण</td> <td>उन्नती निर्माण सेवा</td> <td>५३००००/-</td> </tr> <tr> <td>३</td> <td>कुलो निर्माण</td> <td>सातखोला सि.यो.</td> <td>६००००/-</td> </tr> <tr> <td>४</td> <td>नगरप्रोफाईल</td> <td>ग्रामिण विकास केन्द्र,डोटी</td> <td>१३२६०००/-</td> </tr> <tr> <td colspan="3">जम्मा</td> <td>२०६६०००/-</td> </tr> </tbody> </table> | क्र.सं. | काम | व्यक्ति तथा फर्मको नाम | पेशकी रु. | १ | प्रोत्साहन भत्ता | उद्धव ब.मल्ल | १५००००/- | २ | सडक निर्माण | उन्नती निर्माण सेवा | ५३००००/- | ३ | कुलो निर्माण | सातखोला सि.यो. | ६००००/- | ४ | नगरप्रोफाईल | ग्रामिण विकास केन्द्र,डोटी | १३२६०००/- | जम्मा | | | २०६६०००/- | २०६६०००/ |
| क्र.सं. | काम | व्यक्ति तथा फर्मको नाम | पेशकी रु. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| १ | प्रोत्साहन भत्ता | उद्धव ब.मल्ल | १५००००/- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| २ | सडक निर्माण | उन्नती निर्माण सेवा | ५३००००/- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ३ | कुलो निर्माण | सातखोला सि.यो. | ६००००/- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ४ | नगरप्रोफाईल | ग्रामिण विकास केन्द्र,डोटी | १३२६०००/- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| जम्मा | | | २०६६०००/- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ५३. | <p>मूल्य अभिवृद्धि कर : मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ को दफा १७ मा मू.अ.करमा दर्ता भएको फर्मले रितपूर्वक विल जारी गर्नु पर्ने उल्लेख छ । विल जारी नगरी रकम लिएमा भुक्तानी लिएको रकम भित्र रहेको मू.अ.कर रकम सम्बन्धित फर्मले आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा दाखिला गर्नुपर्दछ । उपभोक्ता समितिले सडक निर्माण गर्ने सिलसिलामा प्रयोग गरेका विभिन्न कम्पनीको एक्साभेटरका फर्मले एक्साभेटर डोजर प्रयोग गरे वापत सेतो कागजमा भरपाई दादै गरी उपभोक्तासँग रकम बुझेको देखियो । यसरी मू.अ.करमा दर्ता भएका फर्मले रितपूर्वकको कर विजक जारी नगर्दा नेपाल सरकारलाई प्राप्त हुनुपर्ने मू.अ.कर प्राप्त भएको देखिएन ।</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| दफा नं. | भौ.नं., मिति र व्यहोराहरु | बेरुजू रकम |
|---------|--|------------|
| | त्यस्ता एक्साभेटर एवं डोजरको भाडामा भाडा कर १० प्रतिशत कट्टी गर्ने गरेको पनि देखियो । उपभोक्ताले डोजरमा प्रयोग हुने तेल छुट्टै विलबाट खरिद गरी डोजरमा प्रयोग गरेको अवस्था छ । नेपाल सरकारलाई प्राप्तहुनुपर्ने १३ प्रतिशत मू.अ.कर प्राप्त भएको देखिएन । तसर्थ देहाय अनुसारका उपभोक्ता मार्फत भुक्तानी दिएका निर्माण व्यवसायीबाट उक्त मू.अ.कर असुल गरी मु.अ.कर ऐन,२०५२ अनुसार लाग्ने जरीवाना समेत हिसाव गरी असुल उपर गर्नु पर्ने रु. | १२,०४,६९६/ |

| भौ.नं.,मिति | उपभोक्ताको नाम | निर्माण व्यवसायी | विल रकम | मू.अ.कर | डोजर भाडा |
|----------------|-------------------------------------|--|----------|----------|-----------|
| १४१२/२०७६/३/३१ | काप्लेकी साफरी गाउँ सडक नि.उ.स | देवलक्ष्मी निर्माण सेवा(६०४३३७२९२) | ८८२७४१.९ | ११४७५६.४ | ९९७४९८.३ |
| १३९१/०७६/३/३१ | बेलपाते कोरी गाउँ सडक नि.उ.स | निर्मला निर्माण सेवा(६०६८८३६७२) | २३५०५४.९ | ३०५५७.१३ | २६५६१२.०३ |
| १३८७/०७६/३/३१ | बामेडुग्री सैन सडक नि.उ.स | निर्मला निर्माण सेवा(६०६८८३६७२) | ३९२२१२.४ | ५०९८७.६१ | ४४३२००.०१ |
| १३८६/०७६/३/३१ | सेतेदेनु देखि गाउँ सडक नि.उ.स. | निर्मला निर्माण सेवा(६०६८८३६७२) | ९७३४५.१३ | १२६५४.८७ | ११०००० |
| १८१/०७६/३/३१ | क्यापानी तल्ला आलि सडक नि.उ.स | एलजी कन्स्टक्सन(३०२८४११३६) | ८८४९५.५८ | ११५०४.४२ | १००००० |
| १३७१/३/३१ | उजेलिगाउँ ढुङ्गा भ्यावती सडक नि | निर्मला निर्माण सेवा(६०६८८३६७२) | १६८०८६.७ | २१८५१.२७ | १८९९३७.९७ |
| १३६३/३/३१ | कोराल खोला कप्सा सडक नि | नवदुर्गा गन्यापघुरा नि.सेवा प्रा लि | ९७३४५.१३ | १२६५४.८७ | ११०००० |
| १३७६/३/३१ | तल्लो छोपा सडक नि | निर्मला निर्माण सेवा(६०६८८३६७२) | १२०९०८ | १५७१८.०४ | १३६६२६.०४ |
| १३६१/३/३१ | जेनौलि चापागाउँ सडक नि | निर्मला निर्माण सेवा(६०६८८३६७२) | १९४४३६.३ | २५२७६.७२ | २१९७३३.०२ |
| १३५९/३/३१ | पशुपती मन्दिर सडक नि | निर्मला निर्माण सेवा(६०६८८३६७२) | १६२९९८.२ | २११८९.७७ | १८४१८७.९७ |
| १३५८/३/३१ | पञ्चोदय निम्न मावि खेलमैदान नि | निर्मला निर्माण सेवा(६०६८८३६७२) | ८५८४०.७१ | १११५९.२९ | ९७००० |
| १३२३/३/३१ | गौनिगाउँ देखि लेक सम्म सडक नि | निर्मला निर्माण सेवा(६०६८८३६७२) | ३१३०५४ | ४०६९७.०२ | ३५३७५१.०२ |
| १२३६/३/२६ | घुक्रौकट सेलपुङ्गा भरकटे सडक नि | निर्मला निर्माण सेवा(६०६८८३६७२) | ३८८९३८.९ | ५०५६२.०६ | ४३९५००.९६ |
| १२००/३/२५ | भर्सा खोला देखि थाप्सा सडक नि | नवदुर्गा गन्यापघुरा नि.सेवा प्रा.लि(६०६८६२९८५) | ११५०४४२ | १४९५५७.५ | १२९९९९.५ |
| ११८२/३/२५ | आलि छडिमाण्डौ सडक मर्मत तथा नि | निर्मला निर्माण सेवा(६०६८८३६७२) | ३०९७३४.५ | ४०२६५.४९ | ३४९९९९.९९ |
| ११७७/३/२४ | घुक्राकोटमा फिल्ड नि | जे.एस.कन्स्टक्सन(३०२१०६४२४) | १९६१०८ | २५४९४.०४ | २२१६०२.०४ |
| ११७४/३/२४ | घुक्रौकट कोटमा फिल्ड नि.उ.स. | निर्मला निर्माण सेवा(६०६८८३६७२) | ६१९४६.९ | ८०५३.०९७ | ६९९९९.९९७ |
| १०२८/३/२ | पाटी सेवा मुडेगाउँ जलफु ग्रामिण सडक | निर्मला निर्माण सेवा(६०६८८३६७२) | १६०८४२.५ | २०९०९.५२ | १८१७५२.०२ |
| ९४३/२/१९ | घुरकोट बन्ती अर्शु मर्कटे सडक नि | निर्मला निर्माण सेवा(६०६८८३६७२) | ३०७३९०.३ | ३९९६०.७३ | ३४७३५१.०३ |
| ८४१/१/२२ | खन्प खोला डिक नि | निर्मला निर्माण सेवा(६०६८८३६७२) | ५२२६७७ | ६७९४८.०१ | ५९०६२५.०१ |
| ३/१२/२०२६ | पिडविभडा सडक नि | हरिओम सापकोटा टेडर्स,विजय साउद | ४०८५२१.२ | ५३१०७.७६ | ४६१६२८.९६ |

| दफा नं. | भौ.नं., मिति र व्यहोराहरू | | | | | बेरुजू रकम |
|-----------|--|---------------------------------|------------|------------|-------------|------------|
| ४/३/१९/३१ | डिडिया लिफ्ट सिचाई टाँकि मेसरा नाउलो पक्की पर्खाल नि | जि.एम टेड एण्ड सप्लायर्स | ३९८९८२ | ५१८६७.६६ | ४५०८४९.६६ | |
| ७०६/१२/२६ | आली छडिमाण्डौ सडक मर्मत तथा नि | निर्मला निर्माण सेवा(६०६८८३६७२) | २३४०३८.१ | ३०४२४.९५ | २६४४६३.०५ | |
| ५२८/१२/३ | विनाडि गाउँ सडक नि | निर्मला निर्माण सेवा(६०६८८३६७२) | १२३८९३८ | १६१०६१.९ | १३९९९९९.९ | |
| ५२३/१२/१ | सातनाली बाखारा गोपघाट सडक नि | निर्मला निर्माण सेवा(६०६८८३६७२) | २४४५०७.१ | ३१७८५.९२ | २७६२९३.०२ | |
| ४८९/११/१९ | शिखर बभ्रैयला सडक नि | निर्मला निर्माण सेवा(६०६८८३६७२) | ८०५३०९.७ | १०४६९०.३ | ९१०००० | |
| जम्मा | | | ९२६६८९६.०० | १२०४६९६.०० | १०४७५९९२.०० | |

५४. सिधै खरिद : सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ८(२)मा प्रतिस्पर्धालाई सिमिति हुने गरी टुक्रा टुक्रा गरी खरिद गर्नु नहुने व्यहोरा उल्लेख छ । कार्यालयले कार्यलय परिसर भित्रै प्याकेज बनाई बोलपत्रको माध्यमबाट निर्माण कार्य गरेको भए प्रतिस्पर्धात्मक मूल्यमा मितव्यी हंगबले काम हुनेमा लागत अनुमानको मूल्यमा काम गराउदा निर्माण भएको काम मितव्यी समेत देखिएन । साथै नगरी बोलपत्र छल्ने उद्देश्यले टुक्रा टुक्रा बनाई निर्माण कार्य गरेको अनियमित देखिएको रु.

२९६६१०७/-

| गो.भौ.नं./मिति | निर्माताको नाम | कामको विषय | भुक्तानी रकम |
|----------------|--------------------------------------|------------------------|--------------|
| १११२/०७६/३/२२ | मष्टा विल्डर्स | कम्पाउण्ड वाल | ४८९०२० |
| ११५४/०७६/३/२३ | उन्नती निर्माण सेवा | रिटेङ्ग वाल | ४९८८४२ |
| १४२४/०७६/३/३१ | मष्टा विल्डर्स | कार्यालय कम्पाउण्ड वाल | ४८९९८० |
| १४०३/०७६/३/३१ | दुर्गा कन्स्ट्रक्सन एण्ड सप्लायर्स | ग्यारेज भुई निर्माण | ४९५७०० |
| १४०४/०७६/३/३१ | पि.पि.एस कन्स्ट्रक्सन एण्ड सप्लायर्स | सिडि निर्माण | ४९५३५० |
| १४०५/०७६/३/३१ | एम के कन्स्ट्रक्सन एण्ड सप्लायर्स | भवनपेटी निर्माण | ४९७२१५ |
| जम्मा | | | २९६६१०७/- |

५५. उपभोक्ता समितिले निर्माण व्यवसायी मार्फत कार्य गराएको: सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को नियम ९७ को उपनियम १० मा उपभोक्ता समिति वा लाभ ग्राहि समुदायले पाएको काम आफैले सम्पन्न गर्नुपर्ने तथा कुनै निर्माण व्यावसायी वा सब कन्ट्राक्टर बाट गराउन नहुने व्यहोरा उल्लेख छ । केही योजना छनौट गरी परीक्षण गर्दा सडक निर्माण डिपबोरिङ्ग जस्ता कार्य उपभोक्ताको नामबाट सम्भौता गर्ने, सार्वजनिक सुनुवाई गर्ने, बैठक बस्ने विलभरपाई तयार गर्ने डोर हाजिर भर्ने तर कामभने निर्माण व्यावसायीबाट गराएको देखियो । यसबाट निर्माण कामको गुणस्तर नहुने कामको अपनत्व नहुने तथा स्थानीय स्तरमा रोजगार सिर्जना नहुने जस्ता जोखिम रहेको छ । यस तर्फ पालिकाको विशेष ध्यान दिनु पर्दछ । उदाहरणको रुपमा निम्न अनुसार छन:

| दफा नं. | भौ.नं., मिति र व्यहोराहरु | | | | | | बेरुजू रकम |
|---------|--|------------------------------|-----------------------|--------------|---------------------------------|--------------|------------|
| | गो.भौ.नं./मिति | उपभोक्ताको नाम | निर्माण कार्यको विवरण | पालिकाको अशं | सब कन्ट्राक्टरको नाम | रकम भुक्तानी | |
| | १३७६/०७६/३/३१ | खानेपानी डिप बोरिङ्ग नि.उ.स. | डिप बोरिङ्ग | २०००००० | एल.जि.ड्रिलिङ्ग कं.प्रा.लि. | ३३१५६६५.७३ | |
| | १३३०/०७६/३/३१ | मल्लीखेत तोलागडा स.नि.उ.स | सडक निर्माण | १२२१५७२ | जित कन्स्ट्रक्सन एण्ड सप्लायर्स | १२२१५७२ | |
| ५६. | <p>ट्यूमपाईप वितरण: १३०७/०७६/३/२९ सगुन हार्डवेयर मेशिनरी एण्ड सप्लायर्सबाट रु.४८७७९०। मूल्यमा विभिन्न साइजका पाइप खरिद गरी वितरण गरेको पाइयो । भरपाईबाट पाईप वितरण गरे तापनी पाईप के कुन स्थानमा प्रयोग भयो, सोको नापी एवं कार्य सम्पन्न प्रतिवेदन संलग्न फाँटवारीमा देखिएन । तसर्थ पाईप प्रयोग भएको नापी एवं कार्यसम्पन्न प्रतिवेदनको प्रमाण पेश हुनुपर्ने रु.</p> | | | | | | ४८७७९०/- |
| ५७. | <p>आर.सि.सि. काममा आइरन: १२२०/०७६/३/२६ शहरी स्वास्थ्य भवन निर्माण उपभोक्ता समितिलाई भवन निर्माण गरेवापत कार्यालयले व्यहोर्ने अशं रु.५९००००। भुक्तानी दिएको छ । संलग्न फाँटवारीमा उपभोक्ताले पेश गरेको विलमा आर सिसि को काम १३.०६ घनमीटर हुँदा आइरन २०१७.८५ केजी खर्च देखिएको छ । कार्यालयले तयार गरेको दरविश्लेषणमा १.४ प्रतिशत आइरन हुने उल्लेख भए अनुसार १३.०६ घन मीटर आरसिसि काममा १४३५.२९ केजी आइरन(१३.०६×७८५०×१.४%) मात्र हुनुपर्नेमा विलमा २०१७.८५ केजी आइरन राखी रकम उपलब्ध गराएको देखियो । आवश्यक पर्ने भन्दा ५८२.५६ केजी बढी आइरन वापत भुक्तानी दिएको हुँदा सम्झौता अनुसारको दर रु.११८.५७ ले हुने रु.६९०७४।१३ र सोको मूल्य अभिवृद्धि कर रु.८९७९.६३ समेत रु.७८०५३।७७ बढी भुक्तानी भएको हुँदा उपभोक्ताको अशं अनुपातिक कट्टी गरी उपभोक्ताबाट बढी भुक्तानी रकम असुल उपर गर्नुपर्ने रु.</p> | | | | | | ७८०५३/७७ |
| ५८. | <p>ग्यावियन जाली: ११७६/०७६/३/२६ घुर्कोट मुसेटुक्रा पल्लेपानी सडक नि.उ.स.लाई सडक निर्माण गरे वापत सम्झौता अनुसार कार्यालयको अशं रु.५५००००। भुक्तानी गरेको छ । उपभोक्ताले पेश गरेको विलमा २४ घनमिटर ग्याविन खरिद तथा भरेको देखाई रकम भुक्तानी लिएको पाइयो । उपभोक्ताले पेश गरेको खरिद विलमा ग्याविन तार २४१ केजी मात्र भएको र दर विश्लेषण अनुसार २४१ केजी तारको ९ गोटा मात्र (२×१×१ सावेज)हुने र सोको १८ घनमीटरमात्र हुने देखिन्छ । यसबाट उपभोक्ताले ६ घनमीटर ग्याविन खरिद तथा फिलिङ्गको प्रतिघन मिटर रु.४९९४.८७ कोदरले २९६६९.२२ बढी भुक्तानी दिएको देखियो । तसर्थ बढी भुक्तानी भएको रकममा उपभोक्ताको अशं अनुपातिक कट्टी गरी सम्बन्धित उपभोक्ता समितिबाट असुल गर्नुपर्ने रु</p> | | | | | | २९६६९/२२ |

| दफा नं. | भौ.नं., मिति र व्यहोराहरु | बेरुजू रकम | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|---|----------------|--------------------|--------------|--------------------|----------|--------|---------------|---------------------------|----------|---------|-----|---------|---------------|-------------------|----------|---------|-------|---------|--|
| ५९. | <p>गैर सरकारी संस्था मार्फत खरिद: ४७३१०७५/११/१५ कार्यालयले सामान खरिद गर्दा गैर सरकारी संस्था मार्फत गराउनु हुँदैन । वितरण गरिने सामान सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावलीले तोकेको प्रकृया पुरागरी खरिद गर्नुपर्दछ । साथै सार्वजनिक खरिद नियमावली,२०६४ को नियममा ५ लाख भन्दा बढीको खरिदमा सिलबन्दी दरभाउपत्र प्रतिष्पर्धात्मक तरिकाबाट खरिद गर्नुपर्ने उल्लेख छ । लाभग्राही व्यक्तिहरुलाई रकेट कुकिङ्ग स्टोभ(धुवा रहित चुल्हो) ८०० थान खरिद, हुवानी र फिटिङ्ग गरेवापत सितारा तेजस्मृति प्रतिष्ठान डोटीलाई रु.१५०००००। भुक्तानी गरेको छ । साथै प्रतिष्ठानले रकम बुझेवापत प्रतिष्ठानको तर्फबाट रकम बुझेको विल उपलब्ध गराएको छैन । साथै यसरी बोलपत्रबाट प्रतिष्पर्धात्मक तरिकाबाट सामान खरिद गर्नु पर्नेमा गैरसरकारी संस्थाको तर्फबाट सामान खरिद गर्ने कार्य नियम सम्मत नदेखिएको रु.</p> | १५०००००/ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ६०. | <p>मूल्य अभिवृद्धि कर: आर्थिक विधेयक, २०७६ ले मू.अ.कर ऐन, २०५२ मा गरेको संशोधित व्यवस्था एवं मू.अ.कर नियमावली, २०५३ को २१ औं संशोधनअनुसार ६(ग) को थप व्यवस्थाले कार्यालयले ठेक्का, परामर्श, सामान आपूर्तिमा आपूर्तकलाई बिजकअनुसार थप भुक्तानी हुने मूल्य अभिवृद्धि कर रकमको ५० प्रतिशतले हुनआउने रकम कार्यालयबाट भुक्तानी खर्च लेख्दा कट्टा गरी सम्बन्धित आपूर्तकको स्थायी लेखा दर्ता रहेको आन्तरिक राजस्व कार्यालयको कोडमा नै दाखिला गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेकोमा नगरपालिकाको २०७६ जेष्ठ १५ पछाडीका भुक्तानीमा थप दिएको मु.अ.कर रकमको ५० प्रतिशतले हुने रकम कट्टा नगरी पुरै मु.अ.कर भुक्तानी दिएको देखियो । नगरपालिकाको भवन र आवधिक योजना तयार गरेवापत ब्रिक कन्स्ट्रक्सन प्रा.लि. लाई मू.अ.कर रु.२२९८५२।८७ सहित रु.१९९७०४०। भुक्तानी गरेको छ । प्रा.लिलाई भुक्तानी गरेको ५० प्रतिशतले हुने रु.११४९२६।४३ रकमको मु.अ.कर समायोजन प्रमाण पेश गर्नुपर्ने अन्यथा असुल हुनुपर्ने रु.</p> | ११४९२६/४३ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ६१. | <p>अग्रिम आयकर: आय कर ऐन,२०५८ को दफा ८८ मा परामर्श वापत मु.अ.कर. दर्ता नभएको फर्मलाई रकम भुक्तानी गर्दा १५ प्रतिशतको दरले अग्रिम कर कट्टी गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । साथै स्थायी लेखा नम्बर लिएका फर्मले रकम भुक्तानी लिदाँ विल जारी गर्नुपर्दछ । निम्न संस्थाहरुले रकम भुक्तानी लिदाँ विल जारी गरेको छैन । देहायका संस्थाहरुबाट तालिम लगायतको परामर्श सम्बन्धि कार्यक्रम सञ्चालन गरेकोमा १५ प्रतिशतको दरले करकट्टी गर्नुपर्नेमा कम कर कट्टी गरेकाले नपुग कर असुल उपर गरी संघिय राजस्वमा दाखिला गर्नुपर्ने रु.</p> | २३३८२४/- | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <table border="1"> <thead> <tr> <th>गो.भौ.नं./मिति</th> <th>परामर्शदाताको नाम</th> <th>भुक्तानी रकम</th> <th>कट्टी हुनुपर्ने कर</th> <th>कट्टी कर</th> <th>छुट कर</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>१४००/०७६/३/३१</td> <td>नेपाल पत्रकारमहा संघ,डोटी</td> <td>३०००००/-</td> <td>४५०००/-</td> <td>०/-</td> <td>४५०००/-</td> </tr> <tr> <td>१३७८/०७६/३/३१</td> <td>महिला अधिकार मञ्च</td> <td>१०००००/-</td> <td>१५०००/-</td> <td>१५०/-</td> <td>१४८५०/-</td> </tr> </tbody> </table> | गो.भौ.नं./मिति | परामर्शदाताको नाम | भुक्तानी रकम | कट्टी हुनुपर्ने कर | कट्टी कर | छुट कर | १४००/०७६/३/३१ | नेपाल पत्रकारमहा संघ,डोटी | ३०००००/- | ४५०००/- | ०/- | ४५०००/- | १३७८/०७६/३/३१ | महिला अधिकार मञ्च | १०००००/- | १५०००/- | १५०/- | १४८५०/- | |
| गो.भौ.नं./मिति | परामर्शदाताको नाम | भुक्तानी रकम | कट्टी हुनुपर्ने कर | कट्टी कर | छुट कर | | | | | | | | | | | | | | | |
| १४००/०७६/३/३१ | नेपाल पत्रकारमहा संघ,डोटी | ३०००००/- | ४५०००/- | ०/- | ४५०००/- | | | | | | | | | | | | | | | |
| १३७८/०७६/३/३१ | महिला अधिकार मञ्च | १०००००/- | १५०००/- | १५०/- | १४८५०/- | | | | | | | | | | | | | | | |

| दफा नं. | भौ.नं., मिति र व्यहोराहरु | | | | | | बेरुजू रकम | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|---|---|--------------------|--------------|----------------|-----------------|----------------|--------------|--------------|--------------------|----------|--------|---------------|------------------|----------|---------|-----|---------|---------------|-------------|---------|---------|--------|--------|---------------|-------------|----------|---------|--------|---------|--|--|--|--|--------------|----------------|---------|
| | १२८४/०७६/३/२९ | वडा स्तरिय महिला सञ्जाल | १०००००/- | १५०००/- | ५५०/- | १४४५०/- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | १२८३/०७६/३/२९ | जिल्ला भलिबल संघ | ५०००००/- | ७५०००/- | ७५००/- | ६७५००/- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | १२७४/०७६/३/२९ | नगरस्तरिय दलित संघ | १२२५९५/- | १८३८९/- | ०/- | १८३८९/- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ११८७/०७६/३/२५ | महिला अधिकार मञ्च | २०००००/- | ३००००/- | १४७०/- | २८५३०/- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | १२३२/०७६/३/२६ | खप्तड मल्टी प्रपोज प्रा.लि(कानून निर्माण) | ५७५००/- | ८६२५/- | ८७०/- | ७७५५/- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | १२२९/०७६/३/२६ | सव.ई.अमरलाल रावल सर्भे | २४९०००/- | ३७३५०/- | ०/- | ३७३५०/- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | जम्मा | २३३८२४/- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ६२. | <p>अग्रिम कर: आय कर ऐन, २०५८ को दफा ८८ मा सेवा भुक्तानीमा १५ प्रतिशतको दरले श्रोतमा अग्रिम कर कट्टी गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । एफ एम रेडियोहरु मू.अ.करमा दर्ता समेत भएको प्रमाण पेश नभएको र देहाय अनुसारका एफ एम रेडियोले सन्देशमूलक सूचना प्रसारण गरेकोमा १५ प्रतिशतको दरले अग्रिम कर कट्टी गर्नुपर्नेमा कर कट्टी छुट भएको देखिएकोले छुट कर सम्बन्धित फर्मबाट असुल उपर गरी संघिय राजस्वमा दाखिला गर्नुपर्ने रु.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>गो.भौ.नं./मिति</th> <th>रेडियोको नाम</th> <th>भुक्तानी रकम</th> <th>कट्टी हुनुपर्ने कर</th> <th>कट्टी कर</th> <th>छुट कर</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>१२५९/०७६/३/२९</td> <td>रेडियो सुदु आवाज</td> <td>१५००००/-</td> <td>२२५००/-</td> <td>०/-</td> <td>२२५००/-</td> </tr> <tr> <td>११६७/०७६/३/२४</td> <td>रेडियो डोटी</td> <td>७९०००/-</td> <td>१०६५०/-</td> <td>१०६५/-</td> <td>९५८५/-</td> </tr> <tr> <td>११६२/०७६/३/२६</td> <td>रेडियो डोटी</td> <td>१०००००/-</td> <td>१५०००/-</td> <td>१५००/-</td> <td>१३५००/-</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>जम्मा</td> <td>४५५८५/-</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | | गो.भौ.नं./मिति | रेडियोको नाम | भुक्तानी रकम | कट्टी हुनुपर्ने कर | कट्टी कर | छुट कर | १२५९/०७६/३/२९ | रेडियो सुदु आवाज | १५००००/- | २२५००/- | ०/- | २२५००/- | ११६७/०७६/३/२४ | रेडियो डोटी | ७९०००/- | १०६५०/- | १०६५/- | ९५८५/- | ११६२/०७६/३/२६ | रेडियो डोटी | १०००००/- | १५०००/- | १५००/- | १३५००/- | | | | | जम्मा | ४५५८५/- | ४५५८५/- |
| गो.भौ.नं./मिति | रेडियोको नाम | भुक्तानी रकम | कट्टी हुनुपर्ने कर | कट्टी कर | छुट कर | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| १२५९/०७६/३/२९ | रेडियो सुदु आवाज | १५००००/- | २२५००/- | ०/- | २२५००/- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ११६७/०७६/३/२४ | रेडियो डोटी | ७९०००/- | १०६५०/- | १०६५/- | ९५८५/- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ११६२/०७६/३/२६ | रेडियो डोटी | १०००००/- | १५०००/- | १५००/- | १३५००/- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | जम्मा | ४५५८५/- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | दैनिक भ्रमण भत्ता तथा पदाधिकारी सुविधा सम्बन्धी खर्चको लेखापरीक्षणबाट देखिएका व्यहोरा | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ६३. | <p>वडा कार्यालयबाट भएको खर्च : नगरपालिकाले वडा कार्यालयलाई जम्मा रु.५३४८९५९.०१ भुक्तानी दिएको छ । वडा कार्यालयसँग सम्बन्धित खर्चहरु नगर कार्यपालिकाबाट भुक्तानी भईरहेको अवस्थामा वडा कार्यालयबाट थप बैठक भत्ता, जिन्सी सामान खरिद, अनुगमन/भ्रमण लगायतका कार्यमा खर्च भएका छन् । यसरी वडागत रुपमा खर्च गर्दा जिन्सी विवरण अद्यावधिक नभएको, वडा कार्यालयको खर्चमा एकरूपता नदेखिएको तथा नगरपालिका र वडा कार्यालयबाट एउटै काममा दोहोरो खर्च हुन सक्ने जोखिम समेत देखिएकाले दुई निकायबाट खर्च गर्ने परिपाटी नियन्त्रण गरी खर्चमा एकद्वार पद्धति कायम गर्न ध्यान दिनुपर्दछ ।</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ६४. | <p>पुर्नताजकी तालिम: १४३४।०७६।३।२२ सामुदायिक मेलमिलाप सम्बन्धि तीनदिने पुर्नताजकी तालिम सञ्चालन गर्न दिनेश बहादुर बलायारले लगेको पेशकी रु.३८८५९०। फछ्यौट सँग सम्बन्धित फाँटवारी परीक्षण गर्दा निम्न अनुसार देखियो:</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| दफा नं. | भौ.नं., मिति र व्यहोराहरु | बेरुजू रकम | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|--|---------------------|------------------|-----------------|------------------|---|------------|--------------|--------|---|-----------|----------------|--------|---|------------------|-----------------|-------|---|------------------|--------------|-------|---|------------------|-------------------|-------|---|------------------|------------------|-------|---|------------------|------------------|-------|---|------------------|------------------|-------|---|------------------|------------------|-------|----|------------------|---------------------|-------|----|------------------|----------------|-------|----|-------------------|-------------------|-------|----|-------------------|---------------------|-------|----|----------------|---------------|------|--|
| ६४.१. | प्रशिक्षण श्री गणेश कडायत र श्री रोहित देउवालाई प्रशिक्षक भत्ता वापत प्रतिव्यक्ति रु.४२०००। को दरले रकम उपलब्ध गराई सकेपछि पुनः दोहोरो यातायात खर्चवापत जनही ४०००। को दरले र पुनः आवास र खानावापत जनही रु.६०००। समेतको दरले गणेश कडायतले नपाउने खर्च लिएको रु.१००००। र रोहित देउवाले नपाउने लिएको खर्च रु.१००००। समेत रु.२००००। निजहरुबाट असुल उपर गर्नुपर्ने रु. | २००००। | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ६४.२. | श्री दिनेश बहादुर बलायारले प्रशिक्षण गरेवापत रु.३०००। के दरले ६ दिनको रु.१८०००। खर्च लिएको फाँटवारीमा देखियो । निजले कानून सम्बन्धित प्रशिक्षण दिन पाउने आधार प्रमाण वेगर रकम भुक्तानी भएकोले उक्त रकम निजबाट असुल उपर हुनुपर्ने रु. | १८०००। | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ६५. | दैनिक भ्रमण भत्ता: कार्यालयले दैनिक भ्रमण खर्च दिनुपूर्व भ्रमण गर्ने उद्देश्य स्पष्ट हुनुपर्दछ । भ्रमण गर्नुपर्ने अवस्था भएपछि स्वीकृत भ्रमण आदेश अनुरूप भ्रमण गर्ने पदाधिकारीले भ्रमण गरि कार्यालयमा फर्केको ३५ दिन भित्र भ्रमण को उपलब्धी सहितको प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्दछ । यसवर्ष कार्यालयले उपलब्ध गराएको विवरण अनुसार रु.१२८५०००। भ्रमण खर्च भएको छ । भ्रमण खर्च गरेको खर्च सम्बन्धी केही फाटवारी परीक्षण गर्दा भ्रमण गर्ने पदाधिकारीले भ्रमण प्रतिवेदन पेश नगरेको र भ्रमणको उपलब्धी मापन गर्न सकिने आधार देखिएन । भ्रमण खर्चलाई आवश्यकताको आधारमा भन्दा सुविधाको आधारमा खर्च लेख्ने परम्पराले सरकारी खर्चको दुरुपयोग हुने जोखिम देखियो । यसर्थ नगरपालिकाका, नगर प्रमुख तथा उपप्रमुख, वडा अध्यक्ष तथा सदस्यहरुले अनुगमनका नाममा रु.१२८५०००। दैनिक भ्रमण खर्च लिएको देखियो । यस्तो खर्चगर्ने परीपाटीमा नियन्त्रण हुनुपर्दछ । | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <table border="1"> <thead> <tr> <th>सि.नं.</th> <th>पद</th> <th>पदाधिकारीको नाम</th> <th>वार्षिक खर्च रकम</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>१</td> <td>नगर प्रमुख</td> <td>सिताराम जोशी</td> <td>२२३४२५</td> </tr> <tr> <td>२</td> <td>उप प्रमुख</td> <td>धौली देवी रावल</td> <td>२०९६२५</td> </tr> <tr> <td>३</td> <td>१ नं.वडा अध्यक्ष</td> <td>खडक बहादुर शाही</td> <td>४०७५०</td> </tr> <tr> <td>४</td> <td>२ नं.वडा अध्यक्ष</td> <td>ऋषि राज जोशी</td> <td>६५७७५</td> </tr> <tr> <td>५</td> <td>३ नं.वडा अध्यक्ष</td> <td>प्रेम बहादुर जोरा</td> <td>४३१५०</td> </tr> <tr> <td>६</td> <td>४ नं.वडा अध्यक्ष</td> <td>तेज बहादुर महारा</td> <td>४१०५०</td> </tr> <tr> <td>७</td> <td>५ नं.वडा अध्यक्ष</td> <td>पदम बहादुर बोहरा</td> <td>६८८००</td> </tr> <tr> <td>८</td> <td>६ नं.वडा अध्यक्ष</td> <td>तेज बहादुर साउंद</td> <td>३९६५०</td> </tr> <tr> <td>९</td> <td>७ नं.वडा अध्यक्ष</td> <td>नर बहादुर बलायार</td> <td>६२७७५</td> </tr> <tr> <td>१०</td> <td>८ नं.वडा अध्यक्ष</td> <td>शिद्ध बहादुर बलायार</td> <td>३६८००</td> </tr> <tr> <td>११</td> <td>९ नं.वडा अध्यक्ष</td> <td>किशन लाल विष्ट</td> <td>४३३५०</td> </tr> <tr> <td>१२</td> <td>१० नं.वडा अध्यक्ष</td> <td>मिन बहादुर बलायार</td> <td>६५३५०</td> </tr> <tr> <td>१३</td> <td>११ नं.वडा अध्यक्ष</td> <td>भिष्म बहादुर बलायार</td> <td>२४१२५</td> </tr> <tr> <td>१४</td> <td>७ नं.वडा सदस्य</td> <td>कून्ती बलायार</td> <td>९०००</td> </tr> </tbody> </table> | सि.नं. | पद | पदाधिकारीको नाम | वार्षिक खर्च रकम | १ | नगर प्रमुख | सिताराम जोशी | २२३४२५ | २ | उप प्रमुख | धौली देवी रावल | २०९६२५ | ३ | १ नं.वडा अध्यक्ष | खडक बहादुर शाही | ४०७५० | ४ | २ नं.वडा अध्यक्ष | ऋषि राज जोशी | ६५७७५ | ५ | ३ नं.वडा अध्यक्ष | प्रेम बहादुर जोरा | ४३१५० | ६ | ४ नं.वडा अध्यक्ष | तेज बहादुर महारा | ४१०५० | ७ | ५ नं.वडा अध्यक्ष | पदम बहादुर बोहरा | ६८८०० | ८ | ६ नं.वडा अध्यक्ष | तेज बहादुर साउंद | ३९६५० | ९ | ७ नं.वडा अध्यक्ष | नर बहादुर बलायार | ६२७७५ | १० | ८ नं.वडा अध्यक्ष | शिद्ध बहादुर बलायार | ३६८०० | ११ | ९ नं.वडा अध्यक्ष | किशन लाल विष्ट | ४३३५० | १२ | १० नं.वडा अध्यक्ष | मिन बहादुर बलायार | ६५३५० | १३ | ११ नं.वडा अध्यक्ष | भिष्म बहादुर बलायार | २४१२५ | १४ | ७ नं.वडा सदस्य | कून्ती बलायार | ९००० | |
| सि.नं. | पद | पदाधिकारीको नाम | वार्षिक खर्च रकम | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| १ | नगर प्रमुख | सिताराम जोशी | २२३४२५ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| २ | उप प्रमुख | धौली देवी रावल | २०९६२५ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ३ | १ नं.वडा अध्यक्ष | खडक बहादुर शाही | ४०७५० | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ४ | २ नं.वडा अध्यक्ष | ऋषि राज जोशी | ६५७७५ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ५ | ३ नं.वडा अध्यक्ष | प्रेम बहादुर जोरा | ४३१५० | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ६ | ४ नं.वडा अध्यक्ष | तेज बहादुर महारा | ४१०५० | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ७ | ५ नं.वडा अध्यक्ष | पदम बहादुर बोहरा | ६८८०० | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ८ | ६ नं.वडा अध्यक्ष | तेज बहादुर साउंद | ३९६५० | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ९ | ७ नं.वडा अध्यक्ष | नर बहादुर बलायार | ६२७७५ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| १० | ८ नं.वडा अध्यक्ष | शिद्ध बहादुर बलायार | ३६८०० | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ११ | ९ नं.वडा अध्यक्ष | किशन लाल विष्ट | ४३३५० | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| १२ | १० नं.वडा अध्यक्ष | मिन बहादुर बलायार | ६५३५० | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| १३ | ११ नं.वडा अध्यक्ष | भिष्म बहादुर बलायार | २४१२५ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| १४ | ७ नं.वडा सदस्य | कून्ती बलायार | ९००० | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| दफा नं. | भौ.नं., मिति र व्यहोराहरु | | | बेरुजू रकम |
|---------|---|-------------------|---------------------|-----------------|
| | १५ | ७ नं.वडा सदस्य | कल्पना भुल | ५००० |
| | १६ | कार्यपालिका सदस्य | रमा रावल | १७९०० |
| | १७ | कार्यपालिका सदस्य | गणेश वि.क. | १९६७५ |
| | १८ | कार्यपालिका सदस्य | जमुना पन्त | २७८०० |
| | १९ | ५ नं.वडा सदस्य | तारा ऐर | ९६०० |
| | २० | १० नं.वडा सदस्य | प्रसाद धामी | १५६०० |
| | २१ | ११ नं.वडा सदस्य | शान्त बहादुर रोकाया | १९१२५ |
| | २२ | ११ नं.वडा सदस्य | पपी लुहार | ६३७५ |
| | २३ | ४ नं.वडा सदस्य | विश्व नाथ भट्ट | १७००० |
| | २४ | ४ नं.वडा सदस्य | शेर बहादुर महारा | २४९०० |
| | २५ | ६ नं.वडा सदस्य | बलवीर टमटा | १७८०० |
| | २६ | ६ नं.वडा सदस्य | नन्द राम भाट | ६००० |
| | २७ | ६ नं.वडा सदस्य | मिना लुहार | ६००० |
| | २८ | ८ नं.वडा सदस्य | मैना बोगटी | ५१०० |
| | २९ | ८ नं.वडा सदस्य | जानकी ताम्रकार | ५१०० |
| | ३० | ८ नं.वडा सदस्य | विष्णु रावत | १२६०० |
| | ३१ | ८ नं.वडा सदस्य | भानी बलायर | ५१०० |
| | ३२ | ९ नं.वडा सदस्य | रमेश दमाई | ४४७०० |
| | ३३ | ९ नं.वडा सदस्य | खेम राज भाट | ५००० |
| | ३४ | ९ नं.वडा सदस्य | मुना दमाई | ५००० |
| | ३५ | १ नं.वडा सदस्य | अर्जुन भुल | ५२०० |
| | ३६ | १ नं.वडा सदस्य | गिता राई(टमटा) | १०८०० |
| | ३७ | जि.स.स.सदस्य | लक्ष्मी मल्ल | २०००० |
| | | | जम्मा | १२८५०००। |
| ६६. | <p>भ्रमण खर्च : सुदुर पश्चिम प्रदेश अन्तर्गतका स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यले पाउने सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७५ तथा भ्रमण खर्च नियमावली, २०६४ बमोजिम कार्यालयको काममा कर्मचारी तथा पदाधिकारीलाई भ्रमण खर्च भुक्तानी गर्दा देखिएका व्यहोराहरु देहाय बमोजिम छन् :</p> <ul style="list-style-type: none"> ● अधिकांश भ्रमणको उद्देश्य र स्पष्ट प्रयोजन कार्यालयकै कामका लागि भएको हो भनी सुनिश्चित हुने विश्वसनीय आधार नदेखिएको । ● नियमानुसार भ्रमण अभिलेख खाता नरहेकाले पदाधिकारी तथा कर्मचारीको भ्रमण सम्बन्धी एकिकृत विवरण प्राप्त हुन नसकेको । ● भ्रमण पश्चात् तोकिए बमोजिम भ्रमण प्रतिवेदन पेश नगरी अधिकांश भ्रमणको भ्रमण खर्च भुक्तानी गर्ने गरेको । ● कतिपय भ्रमणहरु नगरपालिकासँग असम्बन्धित नगर/गाँउपालिका गएको जनाई सो वापतको खर्च भुक्तानी गर्ने गरेको । | | | |

| दफा नं. | भौ.नं., मिति र व्यहोराहरू | बेरुजू रकम | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|---|------------|----------|--------------------|-------------------------|--------------------|-------------------------|--------------------|-------|----|--------------|----------|----------|-----------|----------|-----------|-----------|----|----------------------------|---------|---------|---------|---|---|----------|--------------|--|--|--|--|--|--|------------------|--|
| | <ul style="list-style-type: none"> स्पष्ट प्रयोजन बेगर वडा अध्यक्ष सहितका पदाधिकारीको ७ दिनको भ्रमण आदेश स्वीकृत गरी भुक्तानी गर्ने गरेको । <p>अतः स्पष्ट प्रयोजन र उद्देश्य बेगर अधिकांश ७ दिनको समयावधी राखी भ्रमण खर्च भुक्तानी गरेको अवस्थाबाट भ्रमण खर्च भुक्तानीमा दुरुपयोगको सम्भावना देखियो । त्यसैले तोकिएको कानुनी व्यवस्थाको पालना गर्दै भ्रमण खर्चमा हुन सक्ने अनियमितता र दुरुपयोग नियन्त्रण गर्न भ्रमण आदेश स्वीकृत गर्ने पदाधिकारीले ध्यान दिनुपर्दछ ।</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ६७. | <p>स्वकीय सचिव/सल्लाहकार : सुदुर पश्चिम प्रदेश अन्तर्गत स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७५ मा यस प्रदेश भरका स्थानीय तहका प्रमुख तथा उप प्रमुखले स्वकीय सचिव/सल्लाहकार राख्न पाउने व्यवस्था गरेको छैन । त्यसैगरी स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ८३(८) मा तोकिएको भन्दा फरक पदमा कर्मचारी पदपूर्ती गर्नहुने उल्लेख छ । तर नगर प्रमुख को स्वकीय सचिव श्री केशवराज जोशी तथा उपप्रमुखको स्वकीय सचिव श्री दिनेश बहादुर बलायर, प्रेस सल्लाहकार श्री योगेन्द्र बहादुर बलायर तथा कानुनी सल्लाहकारका रूपमा श्री गोविन्द जोशीलाई नियुक्त गरी रु.११,१७,२००। भुक्तानी भएको छ । यसरी कानून विपरित स्वकीय सचिव/सल्लाहकार नियुक्ती गरी खर्च लेख्ने पदाधिकारीबाट असूल गरी स्थानीय संचित कोष दाखिला गर्नुपर्ने रू.</p> | १११७२००/- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ६८. | <p>स्थानीय तहका पदाधिकारी सुविधा : नेपालको संविधानको धारा २२७ मा गाँउ सभा तथा नगरसभाका सदस्यले पाउने सुविधाका सम्बन्धमा प्रदेश कानूनबमोजिम हुने व्यवस्था अनुसार सुदुरपश्चिम प्रदेश संसदले स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७५ जारी गरेको छ । उक्त ऐनमा भएको व्यवस्था अनुसार नगरपालिकाबाट देहाय बमोजिम रु.७३,४१,६००। सुविधा वापत भुक्तानी भएको छ ।</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>सि. नं</th> <th>विवरण</th> <th>प्रमुख</th> <th>उपप्रमुख</th> <th>वडा अध्यक्ष ११ जना</th> <th>कार्यपालिका सदस्य ८ जना</th> <th>सभाका सदस्य ३७ जना</th> <th>जम्मा</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>१.</td> <td>मासिक सुविधा</td> <td>४२००००/-</td> <td>३६००००/-</td> <td>२९०४०००/-</td> <td>८६४०००/-</td> <td>२६६४०००/-</td> <td>७२१२०००/-</td> </tr> <tr> <td>२.</td> <td>सञ्चार सुविधा (मासिक दरमा)</td> <td>१९२००/-</td> <td>१८०००/-</td> <td>९२४००/-</td> <td>०</td> <td>०</td> <td>१२९६००/-</td> </tr> <tr> <td colspan="7" style="text-align: right;">जम्मा</td> <td>७३४१६००/-</td> </tr> </tbody> </table> | सि. नं | विवरण | प्रमुख | उपप्रमुख | वडा अध्यक्ष ११ जना | कार्यपालिका सदस्य ८ जना | सभाका सदस्य ३७ जना | जम्मा | १. | मासिक सुविधा | ४२००००/- | ३६००००/- | २९०४०००/- | ८६४०००/- | २६६४०००/- | ७२१२०००/- | २. | सञ्चार सुविधा (मासिक दरमा) | १९२००/- | १८०००/- | ९२४००/- | ० | ० | १२९६००/- | जम्मा | | | | | | | ७३४१६००/- | |
| सि. नं | विवरण | प्रमुख | उपप्रमुख | वडा अध्यक्ष ११ जना | कार्यपालिका सदस्य ८ जना | सभाका सदस्य ३७ जना | जम्मा | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| १. | मासिक सुविधा | ४२००००/- | ३६००००/- | २९०४०००/- | ८६४०००/- | २६६४०००/- | ७२१२०००/- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| २. | सञ्चार सुविधा (मासिक दरमा) | १९२००/- | १८०००/- | ९२४००/- | ० | ० | १२९६००/- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| जम्मा | | | | | | | ७३४१६००/- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ६९. | <p>पदाधिकारी अन्य सुविधा: सुदुरपश्चिम प्रदेशको स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यको सुविधाको सम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा १२ मा ऐनले निर्धारण गरेको सुविधा बाहेक अन्य सुविधा लिन नपाइने व्यवस्था छ । नगरपालिकाले ऐनले तोकेको सुविधाबाहेक वर्ष भरी बैठक भत्ता रु.३९,००,००० र अन्य सुविधा रु.६,००,०००।</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| दफा नं. | भौ.नं., मिति र व्यहोराहरु | बेरुजू रकम | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|---|---------------|-----------------|-----------------------|---------------|--------------|--------|--------------|-----------|---|--------------|--------|--------|--------|---------------|---|-------------|--|--------|--------|--|--|--------------|---------------|-----------------|-----------------|--|----------|
| | तथा इन्धनवापत रु.६,९०,८५० सहित जम्मा रु. ५१,९०,८५० सुविधा खर्च लेखेको देखियो । यसरी ऐनमा व्यवस्था नभई लिएको उक्त रकम नियम संगत नदेखिएको रु. | ५१९०८५०/ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ७०. | <p>विशेष भत्ता - नेपाल सरकारबाट स्थानीय निकायमा खटिएका निजामती कर्मचारी, मन्त्रालयले स्वीकृत गरेको प्रशासन अनुदानका कर्मचारीको तलव, भत्ता, दैनिक भ्रमण भत्ता र कार्यालय सञ्चालन खर्च, क्षमता विकास खर्च, सामाजिक परिचलान खर्च पाउने व्यवस्था छ । केन्द्रिय चालु अनुदानबाट चैत्रदेखि अषाढसम्ममा विभिन्न कर्मचारी तथा पदाधिकारीलाई विशेष भत्ता, अन्य भत्ता, सञ्चार भत्ता भनी जम्मा रु.७,३०,९९० खर्च लेखेको छ । नेपाल सरकारले तोकिएको काम गरे बापत तलव भत्ता सुविधा उपलब्ध गराएको अवस्थामा कुन काम कति अतिरिक्त समय कार्य गरी कार्यसम्पादनमा आधारित प्रोत्सहन भत्ता भुक्तानी भएको हो सो समेत खुल्दैन । स्पष्ट आधार एवं कार्यविधि विना तथा नियमावलीमा स्पष्ट उल्लेख गरेभन्दा फरक कार्यमा खर्च लेखेको रकम अनियमित देखिएको रु.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">क्र.सं</th> <th rowspan="2">सुविधाको किसिम</th> <th colspan="2">सुविधा उपयोगको संख्या</th> <th rowspan="2">बार्षिक खर्च</th> <th rowspan="2">कैफियत</th> </tr> <tr> <th>कर्मचारी</th> <th>पदाधिकारी</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>१</td> <td>थप तलव भत्ता</td> <td>२५१२९०</td> <td>३५०१००</td> <td>६०१३९०</td> <td>नगरसभा संचालन</td> </tr> <tr> <td>२</td> <td>सन्चार खर्च</td> <td></td> <td>१२९६००</td> <td>१२९६००</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>जम्मा</td> <td>२५१२९०</td> <td>४७९७००/-</td> <td>७३०९९०/-</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> | क्र.सं | सुविधाको किसिम | सुविधा उपयोगको संख्या | | बार्षिक खर्च | कैफियत | कर्मचारी | पदाधिकारी | १ | थप तलव भत्ता | २५१२९० | ३५०१०० | ६०१३९० | नगरसभा संचालन | २ | सन्चार खर्च | | १२९६०० | १२९६०० | | | जम्मा | २५१२९० | ४७९७००/- | ७३०९९०/- | | ७३०९९०/- |
| क्र.सं | सुविधाको किसिम | | | सुविधा उपयोगको संख्या | | | | बार्षिक खर्च | कैफियत | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | कर्मचारी | पदाधिकारी | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| १ | थप तलव भत्ता | २५१२९० | ३५०१०० | ६०१३९० | नगरसभा संचालन | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| २ | सन्चार खर्च | | १२९६०० | १२९६०० | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | जम्मा | २५१२९० | ४७९७००/- | ७३०९९०/- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ७१. | <p>भ्रमण खर्च: ८४२।०७६।१।२३ नगरप्रमुख, उपप्रमुख केही पदाधिकारी केही कर्मचारी सहित ४० जना नेपालगञ्ज,दाङ्ग,पोखरा,इटहरी लगायतको स्थानमा भ्रमण गराउन (मिति २०७५।११।२० देखि ११।२८ सम्म) लिएको पेशकी रु.९८७९९१। फल्लुयौट गर्दा फल्लुयौट सँग सम्बन्धित फाँटवारी परीक्षण गर्दा सहभागीहरुलाई दैनिक भ्रमण खर्च स्टेसनरी खाजा लगायतका सामान्य खर्च, मोटरभाडा समेत उपलब्ध गराई सकेपछि पुनः आउटस्टेशन कोअर्डिनेशन भत्ता रु.८५००। व्यवस्थापन सामाग्री रु.५०२५।,सहभागीहरुलाई दैनिक पकेट खर्च रु.१०८०००। ,उदघाटन खर्च रु.७८००।, चियापान रु. ७४००।, सञ्चार रु.४०००।, विविध खर्च रु.२५१५०। समेत रु. १६५८७५। थप व्ययभार पर्नेगरी खर्च लेखेको देखियो । उपरोक्त खर्च लेख्दा पाउने आधार प्रमाण नभएकोले सम्बन्धित व्यक्तिहरुबाट छानवीन गरी असुल उपर गर्नुपर्ने रु.</p> | १६५८७५/- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ७२. | <p>हवाई टिकट: गो.भौ.नं. भ्रमण खर्च नियमावली,२०६४ नियम १८ अनुसार भ्रमणमा खटिने पदाधिकारी वा कर्मचारीले भ्रमण समाप्त भएपछि नियमानुसार पाउने दैनिक भत्ता तथा भ्रमण खर्चको बीलभरी भ्रमण प्रतिवेदन साथ आवश्यक बीलभरपाई, हवाई यातायातको सुविधा लिने पदाधिकारी वा कर्मचारीले हवाई टिकट कार्यालयमा पेश गर्नु पर्ने उल्लेख छ ।</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| दफा नं. | भौ.नं., मिति र व्यहोराहरू | बेरुजू रकम | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|--|-----------------------|--|----------|---------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------|-----------------------|-----------|-----------------|--|----------------|---------|------|-------------|-----------|-----------------|----|---|------|------|-------------|-----------|-----------------|------------|----|------|------|-------------|-----------|-----------------|-----------------------------------|----|------|------|------------|-----------|-----------------|-----------------------------------|----|------|------|--------------|--|--|--|--|--|---------------|---------|
| | <p>(क) विभिन्न कार्यको लागि देहायका पदाधिकारीहरूको हवाईजहाजको बोडिङ्गपास संलग्न नरहेको रु.३६०००। सो पेश गर्नुपर्ने अन्यथा असुल गर्नुपर्ने रु.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>भ्रमण गर्ने पदाधिकारी</th> <th>भ्रमण गरेको मिति</th> <th>टिकट रकम</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>नगर प्रमुख, सिताराम जोशी</td> <td>०७५/४/१० देखि ०७५/४/१८</td> <td>२२८००</td> </tr> <tr> <td>नगर उपप्रमुख धौली देवी रावल</td> <td>०७५/५/९ देखि ०७५/५/१८</td> <td>१३२००</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: right;">जम्मा</td> <td>३६०००/-</td> </tr> </tbody> </table> | भ्रमण गर्ने पदाधिकारी | भ्रमण गरेको मिति | टिकट रकम | नगर प्रमुख, सिताराम जोशी | ०७५/४/१० देखि ०७५/४/१८ | २२८०० | नगर उपप्रमुख धौली देवी रावल | ०७५/५/९ देखि ०७५/५/१८ | १३२०० | जम्मा | | ३६०००/- | ३६०००/- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| भ्रमण गर्ने पदाधिकारी | भ्रमण गरेको मिति | टिकट रकम | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| नगर प्रमुख, सिताराम जोशी | ०७५/४/१० देखि ०७५/४/१८ | २२८०० | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| नगर उपप्रमुख धौली देवी रावल | ०७५/५/९ देखि ०७५/५/१८ | १३२०० | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| जम्मा | | ३६०००/- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ७२.१. | <p>उपरोक्त भ्रमणमा नगरप्रमुखको Aug 3-2018 मा काठमाण्डौ देखि घनगढी सम्म आएको टिकट पेश गरेकोमा बुद्ध एयरको साइटमा गई टिकटको स्टेटस हेर्दा निजले प्रयोग गरेको हवाई टिकट दर रु.५२००। मात्र उल्लेख भएको देखियो । भ्रमण विलमा रु.११४०० को टिकट पेश गरी भुक्तानी लगेको नियम सम्मत नदेखिएकाले बढी भुक्तानी लिएको रु.६२००। सम्बन्धित पदाधिकारीबाट असुल हुनुपर्ने रु.</p> | ६२००/- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ७३. | <p>स्थानीय भत्ता: भ्रमण खर्च नियमावली, २०६४ नियमावली दफा ७ को उपदफा ११ अनुसार सरकारी कामको सिलसिलामा भ्रमणमा रही दैनिक भ्रमण भत्ता उपभोग गर्ने पदाधिकारी वा कर्मचारीले दैनिक भत्ता उपभोग गरेको अवधिभर फिल्ड भत्ता, बैठक भत्ता, तालीम भत्ता, स्थानीय भत्ता वा अन्य कुनै किसिमको भत्ता नपाउने व्यवस्था छ । निम्नानुसारका कर्मचारीहरूले दैनिक भ्रमण भत्ता लिएको अवस्थामा पनि स्थानीय भत्ता पनि लिएको हुदाँ उक्त रकम असुल हुनुपर्ने रु.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>मिति र भौ.न.</th> <th>पद</th> <th>नाम</th> <th>उद्देश्य /कार्यक्रमको नाम</th> <th>समयावधी</th> <th>स्थानीय भत्ता दर,मासिक</th> <th>भुक्तानि रकम</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>५।०७।६।२५</td> <td>सि.अ.हे.व</td> <td>दिल वहादुर रावल</td> <td>विभिन्न स्वास्थ्य संस्थामा अनुगमन डोटी</td> <td>९</td> <td>३७५०</td> <td>११२५</td> </tr> <tr> <td>२७।०७।१९।२०</td> <td>सि.अ.हे.व</td> <td>हरिश्चन्द्र शाह</td> <td>,,</td> <td>९</td> <td>३७५०</td> <td>११२५</td> </tr> <tr> <td>४२।०७।१९।१९</td> <td>सि.अ.हे.व</td> <td>हरिश्चन्द्र शाह</td> <td>HMIS तालिम</td> <td>११</td> <td>३७५०</td> <td>१३७५</td> </tr> <tr> <td>४३।०७।१९।१९</td> <td>सि.अ.हे.व</td> <td>हरिश्चन्द्र शाह</td> <td>नियमित रुपमा पानी गुणस्तर निगरानी</td> <td>११</td> <td>३७५०</td> <td>१३७५</td> </tr> <tr> <td>७२।०७।३।२४</td> <td>सि.अ.हे.व</td> <td>हरिश्चन्द्र शाह</td> <td>नियमित रुपमा पानी गुणस्तर निगरानी</td> <td>१५</td> <td>३७५०</td> <td>१५७५</td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="text-align: right;">जम्मा</td> <td></td> <td>६५७५/-</td> </tr> </tbody> </table> | मिति र भौ.न. | पद | नाम | उद्देश्य /कार्यक्रमको नाम | समयावधी | स्थानीय भत्ता दर,मासिक | भुक्तानि रकम | ५।०७।६।२५ | सि.अ.हे.व | दिल वहादुर रावल | विभिन्न स्वास्थ्य संस्थामा अनुगमन डोटी | ९ | ३७५० | ११२५ | २७।०७।१९।२० | सि.अ.हे.व | हरिश्चन्द्र शाह | ,, | ९ | ३७५० | ११२५ | ४२।०७।१९।१९ | सि.अ.हे.व | हरिश्चन्द्र शाह | HMIS तालिम | ११ | ३७५० | १३७५ | ४३।०७।१९।१९ | सि.अ.हे.व | हरिश्चन्द्र शाह | नियमित रुपमा पानी गुणस्तर निगरानी | ११ | ३७५० | १३७५ | ७२।०७।३।२४ | सि.अ.हे.व | हरिश्चन्द्र शाह | नियमित रुपमा पानी गुणस्तर निगरानी | १५ | ३७५० | १५७५ | जम्मा | | | | | | ६५७५/- | ६५७५.०० |
| मिति र भौ.न. | पद | नाम | उद्देश्य /कार्यक्रमको नाम | समयावधी | स्थानीय भत्ता दर,मासिक | भुक्तानि रकम | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ५।०७।६।२५ | सि.अ.हे.व | दिल वहादुर रावल | विभिन्न स्वास्थ्य संस्थामा अनुगमन डोटी | ९ | ३७५० | ११२५ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| २७।०७।१९।२० | सि.अ.हे.व | हरिश्चन्द्र शाह | ,, | ९ | ३७५० | ११२५ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ४२।०७।१९।१९ | सि.अ.हे.व | हरिश्चन्द्र शाह | HMIS तालिम | ११ | ३७५० | १३७५ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ४३।०७।१९।१९ | सि.अ.हे.व | हरिश्चन्द्र शाह | नियमित रुपमा पानी गुणस्तर निगरानी | ११ | ३७५० | १३७५ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ७२।०७।३।२४ | सि.अ.हे.व | हरिश्चन्द्र शाह | नियमित रुपमा पानी गुणस्तर निगरानी | १५ | ३७५० | १५७५ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| जम्मा | | | | | | ६५७५/- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | बिषयगत कार्यक्रमको लेखापरीषणबाट देखिएका व्यहोरा | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ७४. | <p>पशुसेवातर्फ : पशुपालन, तरकारी खेती, फलफूल खेतीहरूमा नेपाल सरकारबाट समुहगत रुपमा आवद्ध</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| दफा नं. | भौ.नं., मिति र व्यहोराहरु | बेरुजू रकम |
|---------|--|-------------|
| | फर्महरुलाई ७५ प्रतिशत र व्यक्तिगततर्फ ५० प्रतिशत अनुदान दिने व्यावस्था रहेको छ । खर्च सम्बन्धी फाँटवारी परीक्षण गर्दा घासको विउ विजनहरु पशुपालनतर्फ साढे, रागो नर्सरी निर्माण जस्ता सबै काम कार्यालय आफैले रु.१,७८,०००। मा खरिद गरि वितरण गरेको देखियो । खरिद गरिएका विउ विजन तथा चौपायामा कृषकको योगदान देखिएन । तसर्थ कृषकको योगदान तथा कार्यालयको योगदान के कति हो सोको प्रमाण पेश हुनुपर्ने रु. | १७८०००/- |
| ७५. | सहकारी संस्थाको भवन निर्माण: १।०७५।३।३९ सहकारी ऐन,२०४८ अनुसार स्थापना भएका वचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरु नाफाको उद्देश्यले स्थापना हुने र कुनै समूह विशेषले लाभ प्राप्त गर्ने प्रकृतिका हुन्छन । यस्ता संस्था व्यक्तिको घरमा भाडा लिई सञ्चालन हुने तथा व्यक्तिको निजि जग्गामा समेत रहेका हुन सक्छन । यस्ता संस्थाको लागि भवन निर्माण लगायतका पूँजीगत निर्माणका कार्यको लागि नगरपालिकाबाट अनुदान उपलब्ध गराउनु हुदैन । नगरपालीकाले यो वर्ष सांसद कोषको निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम अन्तर्गत प्राप्त रकम चौफाल बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको भवन निर्माण गर्न रु.२९,४४९,००। भुक्तानी गरेको देखियो । सरकारबाट प्राप्त हुने रकम निश्चत समूहलाई लाभ हुने गरी भुक्तानी गरेको नियम सम्मत नदेखिएको रु | २९,४४९,००। |
| ७६. | रितपूर्वकको विल: ३।०७५।१।२।२६ सांसद विकास कोष अन्तर्गत पिड किमडा सडक निर्माण उपभोक्ता समितिलाई सडक निर्माण गरे वापत उपभोक्ताको अंश कटाई रु.४६९६२९। भुक्तानी दिएको छ । उपभोक्ताले पेश गरेको विल भरपाई परीक्षण गर्दा हरिओम सापकोटा टेडर्सलाई मेसिन भाडा वापत रु.४६९६२९। भुक्तानी गरेको देखियो । कार्यालयले उक्त भाडामा रु.६४९६२। भाडा कर कट्टी गरेको छ । मू.अ.करमा दर्ता भएको फर्मले मू.अ.कर ऐन,२०५२ को दफा १७ अनुसार रितपूर्वकको विल जारी गर्नुपर्नेमा विल जारी नगरी भरपाई दाईको आधारमा रकम बुझेको देखिदाँ विल रकम रु.४०८५२९.२३ को मू.अ.कर रु.७३९०७.७६ समेत रकम भुक्तानी लिएको देखिदा मू.अ.कर रु.७३९०७।७६ निजबाट असुल गरी मू.अ.कर ऐन,२०५२ अनुसार लाग्ने जरीवाना हिसाव गरी सम्बन्धितबाट असुल गरी संघीय राजस्वमा दाखिला गर्नुपर्ने रु. | ७३९०७.७६ |
| ७७. | उपभोक्ता समितिको विल : सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ९७(६) अनुसार उपभोक्ता समितिले हरेक किस्ताको कामको प्राविधिक मूल्याङ्कन, विल भरपाई र खर्च प्रमाणित गर्ने कागजात त्यस्तो समितीको बैठकबाट अनुमोदन गराई सम्बन्धित सार्वजनिक निकायमा पेश गर्नुपर्नेछ र तत्पश्चात् सम्बन्धित निकायले नियम ९७(११) बमोजिम कार्यसम्पन्न प्रतिवेदन तयार गरी उपभोक्ता समितीलाई रकम भुक्तानी गर्नुपर्दछ । देहाय बामोजिमका योजनाहरुको भुक्तानीमा, देहायका कार्य गरेको कार्यसम्पन्न प्रतिवेदनमा प्रमाणित गरेकोमा, कार्य पुष्ट्याँई हुने उपभोक्ता समितीको विल/विजक नभएकोले सामान खरिदको विल वेगर कुल रु.२,१७,८४४.७१ को कार्यपरिमाण नापी तथा सम्पन्न प्रमाणित गर्ने प्राविधिकलाई जिम्मेवार बनाइनुपर्ने | २१,७८,४४.७१ |

| दफा नं. | भौ.नं., मिति र व्यहोराहरु | | | | बेरुजू रकम | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|--|-----------------------------|--------------|-----------------|-------------|-------|------------------|--------------|-----------------|---------------------------------------|----------------------------|---------|------------|----------|--------------|------------------------------|-------------|-----------------------------|----------------|---------------|------------------------------|----------|----------|---------|----------------|---------------------------|----------------|----------------------------|---------|---------------|--------------------------|---------|---------|-----------|----------------|----------------------------|------------|----------|----------|----------|--|--|--|-------|-----------|-----------|
| रु | <table border="1"> <thead> <tr> <th>भौ.नं./मिति</th> <th>योजना</th> <th>Item</th> <th>रकम</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3">२४/२०७६/१/१५</td> <td rowspan="3">प्लाष्टिक पोखरी निर्माण, शिखर न.पा.११</td> <td>Barbed Fencing Work</td> <td>३९८४.८</td> </tr> <tr> <td>Angle Pole</td> <td>२९९३.०७</td> </tr> <tr> <td>जम्मा</td> <td>६९७७.८७</td> </tr> <tr> <td rowspan="4">२/२०७६/३/२९</td> <td rowspan="4">भौतोला भोलुङ्गे पुल निर्माण</td> <td>Concrete Works</td> <td>६६६००.०</td> </tr> <tr> <td>Cement Stone Masonary Works</td> <td>४९१०४.०</td> </tr> <tr> <td>Cement</td> <td>३१५००.०</td> </tr> <tr> <td>जम्मा</td> <td>१४७२०४.०</td> </tr> <tr> <td>७१५/२०७६/१२/२६</td> <td>समैजी मन्दिर निर्माण कार्य</td> <td>MS Bar</td> <td>६३६६२.८४</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>जम्मा</td> <td>२१७८४४.७१</td> </tr> </tbody> </table> | | | | भौ.नं./मिति | योजना | Item | रकम | २४/२०७६/१/१५ | प्लाष्टिक पोखरी निर्माण, शिखर न.पा.११ | Barbed Fencing Work | ३९८४.८ | Angle Pole | २९९३.०७ | जम्मा | ६९७७.८७ | २/२०७६/३/२९ | भौतोला भोलुङ्गे पुल निर्माण | Concrete Works | ६६६००.० | Cement Stone Masonary Works | ४९१०४.० | Cement | ३१५००.० | जम्मा | १४७२०४.० | ७१५/२०७६/१२/२६ | समैजी मन्दिर निर्माण कार्य | MS Bar | ६३६६२.८४ | | | जम्मा | २१७८४४.७१ | | | | | | | | | | | | |
| भौ.नं./मिति | योजना | Item | रकम | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| २४/२०७६/१/१५ | प्लाष्टिक पोखरी निर्माण, शिखर न.पा.११ | Barbed Fencing Work | ३९८४.८ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Angle Pole | २९९३.०७ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | जम्मा | ६९७७.८७ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| २/२०७६/३/२९ | भौतोला भोलुङ्गे पुल निर्माण | Concrete Works | ६६६००.० | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Cement Stone Masonary Works | ४९१०४.० | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Cement | ३१५००.० | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | जम्मा | १४७२०४.० | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ७१५/२०७६/१२/२६ | समैजी मन्दिर निर्माण कार्य | MS Bar | ६३६६२.८४ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | जम्मा | २१७८४४.७१ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ७८. | <p>बढी भुक्तानी : सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ९७(६) अनुसार उपभोक्ता समितीले हरेक किस्ताको कामको प्राविधिक मूल्याङ्कन, बिल भर्पाई र खर्च प्रमाणित गर्ने कागजात त्यस्तो समितीको बैठकबाट अनुमोदन गराई सम्बन्धित सार्वजनिक निकायमा पेश गर्नुपर्नेछ र तत्पश्चात् सम्बन्धित निकायले नियम ९७(११) बमोजिम कार्यसम्पन्न प्रतिवेदन तयार गरी उपभोक्ता समितीलाई रकम भुक्तान गनुपर्दछ । कार्यालयले देहाय बामोजिमका योजनाहरुले पाईप खरिदको काम वापत भुक्तानीमा, निम्न Item मा निम्न रकम बराबरको कार्य गरेको कार्यसम्पन्न प्रतिवेदन प्रमाणित गरेकोमा, कार्य पुष्ट्याई हुने रकम बराबरको बिल/बिजक पेश नभई बिल/बिजक भन्दा बढी भुक्तान भएको रकम सम्बन्धित उपभोक्ता समितिबाट असुल गरिनुपर्ने रु</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>भौ.नं./मिति</th> <th>योजना</th> <th>कार्यसम्पन्न रकम</th> <th>बिल/बिजक रकम</th> <th>बढी भुक्तान रकम</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>२२/२०७५.१२.२७</td> <td>पशुपति कृषक समूह पाइप खरिद</td> <td>८२१५८.०</td> <td>६०१०४.०५</td> <td>२२०५३.९५</td> </tr> <tr> <td>५५/२०७६.३.२७</td> <td>गौरीशंकर कृषक समूह पाईप खरिद</td> <td>४३३६२.८</td> <td>३७१३१.८</td> <td>६२३१.०</td> </tr> <tr> <td>७४९/२०७६.३.२७</td> <td>जोलापानी पखान खानेपानी योजना</td> <td>४३२३२६.७</td> <td>३५१००२.८</td> <td>८९३२३.९</td> </tr> <tr> <td>७०१/२०७५.१२.२६</td> <td>च्याउमडे सिंचाई पाईप खरिद</td> <td>५४५६००.०</td> <td>५०२४००.०</td> <td>१५९५४.७</td> </tr> <tr> <td>६१५/२०७५.१२.५</td> <td>भदुल्ला सिंचाई पाईप खरिद</td> <td>५३०५३.५</td> <td>४२००२.१</td> <td>११०५१.४</td> </tr> <tr> <td>७२९/२०७५.१२.२७</td> <td>लाटामाण्डौ खानेपानी सरसफाई</td> <td>डुमगाड तथा</td> <td>६७३७६.७९</td> <td>५४०६१.४६</td> <td>१३३१५.३३</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>जम्मा</td> <td>१४९९३०.२८</td> </tr> </tbody> </table> | | | | भौ.नं./मिति | योजना | कार्यसम्पन्न रकम | बिल/बिजक रकम | बढी भुक्तान रकम | २२/२०७५.१२.२७ | पशुपति कृषक समूह पाइप खरिद | ८२१५८.० | ६०१०४.०५ | २२०५३.९५ | ५५/२०७६.३.२७ | गौरीशंकर कृषक समूह पाईप खरिद | ४३३६२.८ | ३७१३१.८ | ६२३१.० | ७४९/२०७६.३.२७ | जोलापानी पखान खानेपानी योजना | ४३२३२६.७ | ३५१००२.८ | ८९३२३.९ | ७०१/२०७५.१२.२६ | च्याउमडे सिंचाई पाईप खरिद | ५४५६००.० | ५०२४००.० | १५९५४.७ | ६१५/२०७५.१२.५ | भदुल्ला सिंचाई पाईप खरिद | ५३०५३.५ | ४२००२.१ | ११०५१.४ | ७२९/२०७५.१२.२७ | लाटामाण्डौ खानेपानी सरसफाई | डुमगाड तथा | ६७३७६.७९ | ५४०६१.४६ | १३३१५.३३ | | | | जम्मा | १४९९३०.२८ | १४९९३०.२८ |
| भौ.नं./मिति | योजना | कार्यसम्पन्न रकम | बिल/बिजक रकम | बढी भुक्तान रकम | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| २२/२०७५.१२.२७ | पशुपति कृषक समूह पाइप खरिद | ८२१५८.० | ६०१०४.०५ | २२०५३.९५ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ५५/२०७६.३.२७ | गौरीशंकर कृषक समूह पाईप खरिद | ४३३६२.८ | ३७१३१.८ | ६२३१.० | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ७४९/२०७६.३.२७ | जोलापानी पखान खानेपानी योजना | ४३२३२६.७ | ३५१००२.८ | ८९३२३.९ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ७०१/२०७५.१२.२६ | च्याउमडे सिंचाई पाईप खरिद | ५४५६००.० | ५०२४००.० | १५९५४.७ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ६१५/२०७५.१२.५ | भदुल्ला सिंचाई पाईप खरिद | ५३०५३.५ | ४२००२.१ | ११०५१.४ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ७२९/२०७५.१२.२७ | लाटामाण्डौ खानेपानी सरसफाई | डुमगाड तथा | ६७३७६.७९ | ५४०६१.४६ | १३३१५.३३ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | जम्मा | १४९९३०.२८ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ७९. | <p>मु.अ.कर ५० प्रतिशत कट्टा नगरेको : आर्थिक ऐन, २०७६ ले २०७६ जेष्ठ १५ गतेदेखि सरकारी निकायले ठेक्का सम्भौता वा करार अर्न्तगत आपूर्ति हुने वस्तु वा सेवा वापतको रकम सम्बन्धित ठेकेदार वा आपूर्तिकर्ता लाई</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| दफा नं. | भौ.नं., मिति र व्यहोराहरू | | | | | बेरजू रकम |
|---------|---|-------------------------------|------------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|
| | <p>भुक्तानी गर्दा निजलाई भुक्तानी गर्ने मु.अ.कर रकमको पचास प्रतिशतले हुन आउने रकम निजको नामबाट सम्बन्धित आन्तरिक राजस्व शिर्षकमा जम्मा गरी बाँकी रहने कर वापतको रकम मात्र भुक्तानी गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ । निम्नानुसार गोश्वारा भौचर र मितिबाट मु.अ.कर वापत ५० प्रतिशत कार्यालयले कट्टी गरी भुक्तानी गर्नुपर्नेमा पुरै भुक्तानी गरेकोले ५० प्रतिशत मु.अ.कर समायोजन प्रमाण पेश गर्नुपर्ने अन्यथा असुल गर्नुपर्ने रु.</p> | | | | | ७९८२५.३ |
| | गो.भौ. र मिति | कार्यक्रमको नाम | फर्म वा कम्पनीको नाम | मु.अ.कर सहित भुक्तानी रकम | मु.अ.कर रकम | ५० प्रतिशत मु.अ.कर रकम |
| | ५/२०७६.२.२४ | समूहागाँड काफललेखि नापानी सडक | श्री भैरव शक्ति निर्माण सेवा | ५२५७७२.०५ | ६०४८७.०५ | ३०२४३.५ |
| | ६/२०७६.२.२९ | गोपाघाट लाटामाण्डौँ सडक | श्री भैरव शक्ति निर्माण सेवा | ७२८८८३.६ | ८३९६३.६० | ४१५८९.८ |
| | | | | | जम्मा | ७९८२५.३ |
| ८०. | <p>शिक्षा तर्फ बढी तलब/भत्ता निकास : भौ.नं ५, मिति २०७६/१२/१९, राधाकृष्ण मा.वि, तिजालीका शिक्षक श्री गणेश वा. शाही मिति २०७५/११/१५ मा अवकाश भएकोले, दोश्रो चौमासिक तलब भत्ता निकासामा निजको तलब/भत्ता वापत फाल्गुण ५ सम्मको रु १०३०९५.५८ निकास हुनुपर्नेमा रु १३०२२६.० निकास भएकोले बढी निकास हुन गएको रकम रु २७९३०.४२ असुल गरि दाखिला गर्नुपर्ने रु.</p> | | | | | २७९३०.४२ |
| ८१. | <p>विद्यालय शिक्षक तलब: विद्यालय शिक्षकहरूको चौमासिक तलब भत्ता अनुदान रकम विद्यालयहरूबाट प्राप्त तलब/भत्ता एवम् ग्रेडको दर सहितको माग फारम तथा विद्यालय शिक्षक किताबखानाबाट शिक्षकहरूको पारित तलबी प्रतिवेदनका आधारमा निकास गरिनुपर्दछ । नगरपालिकाले आ.व २०७५/७६ को विद्यालय शिक्षकहरूको तलब भत्ता निकास गर्दा तलबी प्रतिवेदन पारित नगरी विद्यालयहरूबाट प्राप्त माग फारमका आधारमा मात्र रकम निकास गरेको हुनाले सम्पूर्ण विद्यालयहरूमा कार्यरत शिक्षकहरूको पद, श्रेणी, निजहरूको तलब स्केल एवम् ग्रेड संख्या र रकम यकिन गर्न सकिएन । नगरपालिकाले आ.व २०७५/७६ मा निकास भएको सम्पूर्ण शिक्षकहरूको तलब/भत्ता यकिन गर्नुपर्ने देखिन्छ र शिक्षक तलब/भत्ता निकास गर्दा अनिवार्य रूपमा विद्यालय शिक्षकहरूको तलबी प्रतिवेदन पारित गर्नुपर्दछ ।</p> | | | | | |
| ८२. | <p>दुई कोठे नयाँ फर्निचरसहितको कक्षाकोठा भवन निर्माण : नगरपालिकाले आ.व २०७५/७६ मा संघिय सरकारबाट हस्तान्तरित कार्यक्रम अन्तर्गत दुई कोठे नयाँ फर्निचरसहितको कक्षाकोठा भवन निर्माणकालागि कुल ४८,००,०००.०० निकास भएको छ । सो रकम कार्यपालिकाले निर्णय गरी तीन विद्यालय श्री बानेडुडुग्रा मा.वि, श्री गणेश मा.वि र श्री लाटामाण्डौँ मा.वि लाई रु १६,००,०००.०० का दरले विनियोजन गरी</p> | | | | | |

| दफा नं. | भौ.नं., मिति र व्यहोराहरु | बेरुजू रकम |
|---------|--|------------|
| | कार्यसम्पन्न प्रतिवेदनका आधारमा रकम भुक्तानी गरेको छ । कार्यक्रम कार्यान्वयन निर्देशिका २०७५/७६ को क्रियाकलाप नं ८.२.३.३१.१० मा दुईकोठे फर्निचरसहितको कक्षाकोठा निर्माण गर्दा कर्कटपाताले छाना छाउने विद्यालयले अनिवार्य रूपमा ४ मि.मि बाक्लो प्लाईउड वा कम्तीमा समान गुणस्तर भएका अन्य सामग्रीको सिलिङ्ग सहितको भवन निर्माण गर्नुपर्ने कुरा उल्लेख रहेको छ । कार्यालयले उक्त विद्यालयहरुको कक्षाकोठा निर्माणको लागत अनुमानमा प्लाईउड वा सिलिङ्ग लगाउने कार्य उल्लेख गरेको छैन र सो कुरा कार्यसम्पन्न प्रतिवेदनमा समेत प्रमाणित भएको छैन । यसरी संघिय सरकारको योजना कार्यान्वयनमा कार्यालयले प्राप्त निर्देशिका पालना गर्नुपर्ने र सो बमोजिम रकम भुक्तानी गर्नुपर्ने देखिन्छ । | |
| ८३. | सट्टा शिक्षकलाई निकासा : भौ नं १६, मिति २०७६/३५ नगरपालिकाका श्रोत व्यक्ति श्री उद्धव बहादुर मल्लको सट्टामा रहेका सट्टा शिक्षक श्री रामसिंह नेगीको पदावधि फाल्गुण महिनापछि नेपाल सरकारको परिपत्रबाट समाप्त भईसकेको र श्रोत व्यक्ति उद्धव बहादुर मल्लले नगरपालिकाबाट नै तलब/भत्ता बुझ्ने गरेकोले, निज सट्टा शिक्षकको तलब/भत्ता शिर्षकमा अन्तिम चौमासिकमा रु १३००००.००, केदारेश्वर मा.वि, कपल्लेकी खातामा रकम निकासा भएकोले, असुल गरि दाखिला गर्नुपर्ने रु | १३००००/- |
| ८४. | सशर्त कार्यक्रम कार्यान्वयन निर्देशिका पालना नभएको : भौचर नं १६, मिति २०७६/३५, तोकिएको सूचकाङ्कका आधारमा कार्यसम्पादन सम्पन्न गर्ने विद्यालयलाई कार्यसम्पादनमा आधारित अनुदान (क्रियाकलाप नं २.१५.११.७८६) बापतको रकम निकासा गर्दा नगरपालिकाले विद्यालयहरूसँग प्रस्ताव माग गर्नुपर्ने र सोको मूल्याङ्कनको आधारमा प्रति विद्यालय रु ५००००।०० का दरले उपलब्ध गराउन पर्ने व्यवस्था छ । यस नगरपालिकालाई प्राप्त अनुदान रु.२५००००।०० बाट पाँचवटा विद्यालयलाई रु.५००००।०० का दरले निकासा गर्नुपर्नेमा, लाटामाण्डौँ मा.वि, घोडासैनीलाई एकमुष्ट रु २००००।०० र पञ्चोदय आ.वि लाई रु ५००००।०० निकासा गरेको र सोको कुनै आधार समेत पेश भएको छैन । निर्देशिकामा उल्लिखित प्रावधान बेगर खर्च भएकोले, संघबाट हस्तान्तरित योजन कार्यान्वयनमा उल्लिखित निर्देशिका पालना गर्नुपर्ने देखिन्छ । | |
| ८५. | शिक्षण सिकाई अनुदान : भौ.नं ३१/२०७६.३.३० शिक्षण सिकाई अनुदान बापत नगरपालिकालाई प्राप्त रकम शिक्षा तथा मानव विकास केन्द्रको च.नं १३३ मिति २०७६.३.२७ को पत्रमा उल्लिखित आधार बमोजिम खर्च गर्नुपर्दछ । नगरपालिकालाई आ.व २०७५/७६ मा शिक्षण सिकाई अनुदान बापत प्राप्त रकम रु १४,६४,०००.०० रकम सो आधार एवम् नगरपालिकाको कुनै आधिकारिक निर्णयबिना देहायका विद्यालयलाई विनियोजन गरी निकासा गरेको छ । यसरी प्राप्त लिखित निर्देशिका एवम् आधिकारिक निर्णयबिना रकम विनियोजन गरी निकासा गर्नु उचित देखिएन । उक्त खर्चको सही उपयोगका सम्बन्धमा कार्यालयले आवश्यक | |

| दफा नं. | भौ.नं., मिति र व्यहोराहरू | बेरुजू रकम | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|--|------------|----------------|-----|---|-------------------|-----------|---|-------------|-----------|---|------------------|-----------|---|------------|-----------|---|------------------|-----------|---|-----------------------|-----------|--|
| | <p>ध्यान दिनुपर्दछ ।</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>सि.नं</th> <th>विद्यालयको नाम</th> <th>रकम</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>१</td> <td>वानेडुङ्गा मा.वि.</td> <td>१८३०००.००</td> </tr> <tr> <td>२</td> <td>गणेश मा.वि.</td> <td>३६६०००.००</td> </tr> <tr> <td>३</td> <td>लाटमाण्डौँ मा.वि</td> <td>३६६०००.००</td> </tr> <tr> <td>४</td> <td>गणेश आ.वि.</td> <td>१८३०००.००</td> </tr> <tr> <td>५</td> <td>दुर्गादेवी आ.वि.</td> <td>१८३०००.००</td> </tr> <tr> <td>६</td> <td>सिद्धनाथ प्रज्ञा आ.वि</td> <td>१८३०००.००</td> </tr> </tbody> </table> | सि.नं | विद्यालयको नाम | रकम | १ | वानेडुङ्गा मा.वि. | १८३०००.०० | २ | गणेश मा.वि. | ३६६०००.०० | ३ | लाटमाण्डौँ मा.वि | ३६६०००.०० | ४ | गणेश आ.वि. | १८३०००.०० | ५ | दुर्गादेवी आ.वि. | १८३०००.०० | ६ | सिद्धनाथ प्रज्ञा आ.वि | १८३०००.०० | |
| सि.नं | विद्यालयको नाम | रकम | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| १ | वानेडुङ्गा मा.वि. | १८३०००.०० | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| २ | गणेश मा.वि. | ३६६०००.०० | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ३ | लाटमाण्डौँ मा.वि | ३६६०००.०० | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ४ | गणेश आ.वि. | १८३०००.०० | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ५ | दुर्गादेवी आ.वि. | १८३०००.०० | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ६ | सिद्धनाथ प्रज्ञा आ.वि | १८३०००.०० | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ८६. | <p>आयुर्वेद स्वास्थ्य तर्फ : १।०७।६।२९ यस कार्यालयका कविराज पंकज रायमाझीको साउन महिनाको तलब भत्ता भुक्तानी गर्दा एक महिना वारावरको चाडपर्व खर्च दिनुपर्नेमा रु.५९४३। बढी भुक्तानी भएको तथा गो.भौ.नं.५।०७।७।२० बाट निजले खाईपाई आएको ग्रेड भन्दा २ ग्रेड बढीको रकम रु.१५६६। समेत रु.६७०९। भुक्तानी भएकोले सो रकम निजबाट असुल उपर गर्नुपर्ने रु.</p> | ६७०९/- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ८७. | <p>कार्यालयले आयुर्वेद शाखालाई चाहिने औषधिहरू लक्ष्मी आयुर्वेद औषधालय,अमरगढी,डडेल्धुराबाट सिधै कोटेशनको माध्यमबाट खरिद गरेकोमा कोटेशनमा कायम भएको दररेटमा चन्दनादी चुर्ण १०० ग्रामलाई १ फयल को रु.२५०। पेश गरेकोमा विलमा रु.१२००। राखेकाले ८ फायल खरिद गरेकोमा रु.७६००। बढी रकममा औषधि खरिद गरेको हुदाँ निज औषधालयबाट असुल उपर गर्नुपर्ने रु.</p> | ७६००/- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको लेखापरीक्षणबाट देखिएका व्यहोरा | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ८८. | <p>अभिलेख अद्यावधिक तथा बढी भुक्तानी: सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०७५ को परिच्छेद ७ बमोजिम प्रत्येक स्थानीय तहले मन्त्रालयको स्वीकृति बिना कुनैपनि प्रकारका सामाजिक सुरक्षा भत्ता नगद वितरण गर्न नपाइने र प्रत्येक स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्र भित्रका सबै लक्षित वर्ग तथा समूहको तथ्याङ्क केन्द्रीय पञ्जिकरण विभागको MIS systemमा Online प्रविष्टी गरी अद्यावधिक गरेको तथ्याङ्कको आधारमा नजिकको बैंकको शाखाबाट खाता सञ्चालन गरी वितरण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ८८.१. | <p>नगरपालिकाले सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने व्यक्तिको विवरण अद्यावधिक गरेको देखिएन भने तीन वटै चौमासिकको सामाजिक सुरक्षा भत्ता रकम रु.६,६८,५७,४००। नगदमा बुझाएको देखियो । उल्लेखित अवस्थामा सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणमा दुरुपयोग हुन सक्ने देखिएकोले व्यवस्थापन पक्षले लाभग्राहीहरूको मुल अभिलेख अद्यावधिक, सो को नविकरण, लगत कट्टा, वितरण प्रणाली र बैंक खाता सञ्चालन लगायत तोकिएका अन्य कार्यहरूलाई विश्वसनीय र भरपर्दो बनाउनुपर्ने देखिन्छ । बैंकमा खाता खोली बैंकमार्फत सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गर्नुपर्दछ ।</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| दफा नं. | भौ.नं., मिति र व्यहोराहरु | बेरुजू रकम | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|--|---------------------|------|-------------|---------|----------------------|---------|--------|---|--------------|-----------|-----|------|--------|--|-----------------|-------|------|------|--------|--|----------------|---------------------|------|------|--------|--|--------------|--------------|-----|------|--------|--|----------|--------------|-----|------|--------|--|------------|--------------|-----|------|--------|--|----------------|-------|------|------|-------|----------------------|--------------|-------|------|------|--------|-----------------|--|--|--|--|-------|-------|--|-------|--|--|--|---------|--|--|--|
| ८८.२. | सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालन निर्देशिका, २०७५ को बुँदा नं.११ अनुसार सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी अनुसूची ८, ९, १०, ११ र १२ तयार गरी सोको आधारमा भत्ता खर्च लेख्नुपर्ने व्यवस्था उल्लेख छ । सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने व्यक्तिको परिचयपत्र सहितको नामावली अद्यावधिक नहुँदा भत्ता पाउने उचित व्यक्ति छुट वा अर्को व्यक्तिले दोहोरो भत्ता भुक्तानी लिई खर्चमा अनियमितता हुन जाने सम्भाव्यता विद्यमान रहन्छ । | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ८८.३. | नगरपालिकाको निकासको आधारमा पहिलो र पाँचौ स्थानको वडाहरुको सामाजिक सुरक्षा भत्ता परीक्षण गर्दा निम्न वडाको सामाजिक सुरक्षा भत्ता दोहोरो वितरण गरेकोमा देहाय अनुसारको दोहोरो परेको भत्ता सम्बन्धित वडा सचिवलाई जिम्मेवार बनाई असूल गर्नुपर्ने तथा अन्य वडाहरुको सम्बन्धमा कार्यालयले छानविन गर्नुपर्दछ । निर्देशिकाले व्यवस्था गरे अनुसार सबै अनुसूचीको भिडान गरी सामाजिक सुरक्षा भत्ता खर्च लेख्ने, अधिल्लो चौमासिकमा भएको नविकरण, लगत कट्टाको अभिलेखलाई अद्यावधिक गरेर मात्र अर्को चौमासिकको किस्ता बैंक मार्फत भुक्तानी गर्नु पर्ने रु. | ३६२००/- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <table border="1"> <thead> <tr> <th>वडा नं.</th> <th>नाम</th> <th>लक्षित समूह</th> <th>दर</th> <th>रकम</th> <th>चौमासिक</th> <th>कैफियत</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="9">१</td> <td>रविना पार्की</td> <td>अति अशक्त</td> <td>६००</td> <td>२४००</td> <td>तेस्रो</td> <td></td> </tr> <tr> <td>नर्मा देवी शाही</td> <td>विधवा</td> <td>१०००</td> <td>४०००</td> <td>तेस्रो</td> <td></td> </tr> <tr> <td>विस्ना देवी ऐर</td> <td>विधवा, जेष्ठ नागरिक</td> <td>२०००</td> <td>८०००</td> <td>तेस्रो</td> <td></td> </tr> <tr> <td>तुलक्षी दमाई</td> <td>दलित बाललिका</td> <td>४००</td> <td>१६००</td> <td>तेस्रो</td> <td></td> </tr> <tr> <td>रमेश भुल</td> <td>दलित बाललिका</td> <td>४००</td> <td>१६००</td> <td>तेस्रो</td> <td></td> </tr> <tr> <td>सोमिका भुल</td> <td>दलित बाललिका</td> <td>४००</td> <td>१६००</td> <td>तेस्रो</td> <td></td> </tr> <tr> <td>वासुली दरिमाना</td> <td>विधवा</td> <td>१०००</td> <td>१०००</td> <td>पहिलो</td> <td>६५ मा मृत्यु भैसकेको</td> </tr> <tr> <td>राजदेवी शाही</td> <td>विधवा</td> <td>१०००</td> <td>४०००</td> <td>दोस्रो</td> <td>अभिलेखमा नरहेको</td> </tr> <tr> <td colspan="4">उपचार खर्च १८७ लाई वितरण गरेकोमा पे.फ १९० को गरेको</td> <td>१२०००</td> <td>पहिलो</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4">जम्मा</td> <td>३६२००/-</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> | वडा नं. | नाम | लक्षित समूह | दर | रकम | चौमासिक | कैफियत | १ | रविना पार्की | अति अशक्त | ६०० | २४०० | तेस्रो | | नर्मा देवी शाही | विधवा | १००० | ४००० | तेस्रो | | विस्ना देवी ऐर | विधवा, जेष्ठ नागरिक | २००० | ८००० | तेस्रो | | तुलक्षी दमाई | दलित बाललिका | ४०० | १६०० | तेस्रो | | रमेश भुल | दलित बाललिका | ४०० | १६०० | तेस्रो | | सोमिका भुल | दलित बाललिका | ४०० | १६०० | तेस्रो | | वासुली दरिमाना | विधवा | १००० | १००० | पहिलो | ६५ मा मृत्यु भैसकेको | राजदेवी शाही | विधवा | १००० | ४००० | दोस्रो | अभिलेखमा नरहेको | उपचार खर्च १८७ लाई वितरण गरेकोमा पे.फ १९० को गरेको | | | | १२००० | पहिलो | | जम्मा | | | | ३६२००/- | | | |
| वडा नं. | नाम | लक्षित समूह | दर | रकम | चौमासिक | कैफियत | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| १ | रविना पार्की | अति अशक्त | ६०० | २४०० | तेस्रो | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | नर्मा देवी शाही | विधवा | १००० | ४००० | तेस्रो | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | विस्ना देवी ऐर | विधवा, जेष्ठ नागरिक | २००० | ८००० | तेस्रो | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | तुलक्षी दमाई | दलित बाललिका | ४०० | १६०० | तेस्रो | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | रमेश भुल | दलित बाललिका | ४०० | १६०० | तेस्रो | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | सोमिका भुल | दलित बाललिका | ४०० | १६०० | तेस्रो | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | वासुली दरिमाना | विधवा | १००० | १००० | पहिलो | ६५ मा मृत्यु भैसकेको | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | राजदेवी शाही | विधवा | १००० | ४००० | दोस्रो | अभिलेखमा नरहेको | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | उपचार खर्च १८७ लाई वितरण गरेकोमा पे.फ १९० को गरेको | | | | १२००० | पहिलो | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| जम्मा | | | | ३६२००/- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | आन्तरिक लेखापरीक्षणबाट देखिएको बेरुजू अन्तिम लेखापरीक्षण हुनु अगावै फछ्यौट गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था भएता पनि देहायबमोजिम आन्तरिक लेखापरीक्षणबाट देखिएका व्यहोराहरु फछ्यौट गरेको प्रमाण पेश नभएकोले नियमानुसार फछ्यौट गर्नुपर्ने देखिएको छ । | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ८९. | १५७०७६।२।२९ पशु स्वास्थ्य शिविर सञ्चालना प्रयोग भएको गाडी दिपेश द्वारीयालाई भुक्तानी भएकोमा सम्भौता वेगर रु.८०००। भुक्तानी भएको देखिएको एकिन हुन सकेन रु | ८०००/- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ९०. | १५६।०७६।२।२९ तलकोट देखि तिलाजी सम्म गाडी नारायण कठायतलाई भुक्तानी भएकोमा सम्भौता वेगर रु.६०५०। भुक्तानी भएको देखिएको एकिन हुन सकेन रु | ६०५०/- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ९१. | १९८।०७६।२।२९ परमानन्द शर्माको तवली भरपाई अनुसार रु.२५००। बढी भुक्तानी भएको असुल गर्नुपर्ने रु. | २५००/- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ९२. | १०९०।०७६।३।९ सिप्रद्धि ट्रेडिङ प्रा.लि लाई से.१ ग १३८ नम्बरको गाडी सर्भिसिङ गरेको विल संलग्न फाटँवारीमा प्रमाणित छाप वेगर राखेको देखिएकोले प्रमाण पेश हुनुपर्ने रु. | ३४६९७/- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

शिखर नगरपालिकाको सञ्चित कोष विवरण
२०७५।७६

अनुसूची १
(रु.हजारमा)

| क्र.स | स्थानीय तह | जिल्ला | आय | | | | | व्यय | | | | मौज्दात बाँकी |
|-------|----------------|--------|----------------------|-----------------|----------------------------|---------|----------|-----------|-------------|-----------|------------|---------------|
| | | | गत वर्षको जिम्मेवारी | समानिकरण अनुदान | सशर्त तथा अन्य बजेट अनुदान | अन्य आय | जम्मा आय | चालु खर्च | पूजोगत खर्च | अन्य खर्च | जम्मा खर्च | |
| १ | शिखर नगरपालिका | डोटी | २१३९५ | ११०९७६ | २२६६४१ | १६६००५ | ५०३६२२ | २८३५८२ | १८७१६० | २६१८२ | ४९६९२४ | २८०९३ |

अनुसूची-२

बेरुजू वर्गीकरण (विनियोजन, राजस्व, धरौटी र अन्य कारोबार)
२०७५।७६

(रु.हजारमा)

| क्र.स | स्थानीय तह | प्रारम्भिक बेरुजू | | प्रतिक्रियाबाट फछ्यौट | | | बाँकी बेरुजू | | | बेरुजू | | | | | | | | | |
|-------|----------------|-------------------|----|-----------------------|------------|----|--------------|------------|----|--------|-------------------|--------------|--------------------|-------------------------------|-----------------|-------|----------------|-------|------------|
| | | दफा संख्या | | रकम | दफा संख्या | | रकम | दफा संख्या | | रकम | नियमित गर्नुपर्ने | | | | | पेशकी | | जम्मा | |
| | | सै. | ल. | | सै. | ल. | | सै. | ल. | | असुल गर्नुपर्ने | अनियमित भएको | प्रमाणका पेश नभएको | राजस्व लगत जिम्मेवारी नसारेको | सोधभर्ना नलिएको | जम्मा | कर्मचारी पेशकी | | अन्य पेशकी |
| १ | शिखर नगरपालिका | ६४ | ३७ | २२०२० | ० | ० | ० | ६४ | ३७ | २२०२० | ५७५ | १३३४७ | ८९२ | ० | ० | १४२३९ | १५० | १९९६ | २०६६ |

अनुसूची-३

अद्यावधिक बेरुजू स्थिति
२०७५।७६

(रु.हजारमा)

| क्र. सं. | स्थानीय तह | जिल्ला | गत वर्ष सम्मको बाकी | यो वर्षको फछ्यौट | बाँकी | यो वर्ष सं.प.वाट कायम भएको बेरुजू | यो वर्षको बेरुजू | कुल बाकी बेरुजू |
|----------|----------------|--------|---------------------|------------------|-------|-----------------------------------|------------------|-----------------|
| १ | शिखर नगरपालिका | डोटी | ११५६१ | ० | ११५६१ | ० | २२०२० | ३३५८१ |